आज़ादी का अमृत महोत्सव
1947-2022

सामाजिक विज्ञान

पाठ्यपुस्तक

वेद-भूषण - V वर्ष / पूर्वमध्यमा - II वर्ष / कक्षा दसवीं

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं मान्यता प्राप्त)

पूर्वीरस्य निष्षिधो मर्त्येषु पुरू वसूनि पृथिवी बिभर्ति।
इन्द्राय द्याव ओषधीरुतापो रयिं रक्षन्ति जीरयो वनानि॥
निष्षिध्वरीस्त ओषधीरुतापो रयिं त इन्द्र पृथिवी बिभर्ति।
सखायस्ते वामभाज: स्याम महद्देवानामसुरत्वमेकम्॥
यथा-व्वनस्प्पतयेस्वाहामरुतामोजसेस्वाहेन्द्रस्येन्द्रियायस्वाहा।
पृथिविमातर्म्मामाहि ँ सीर्म्मोऽअहन्त्वाम् ॥
आपोहयद्बृहतीर्विश्श्वमायन्गर्भन्दधानाजनयन्तीरग्निम्॥
ततोदेवाना ँ समवर्त्ततासुरेक ँ कस्म्मैदेवायहविषाव्विधेम॥
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्यण् रोहयद्दिवि । वि गोभिरद्रिमैरयत् ॥
मित्र ँ हुवे । पूतदक्षंव्वरुणञ्चरिशादसम् ॥
धियङ्घृताची ँ साधन्ता॥

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)
(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)
Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in

विषयानुक्रमणिका

क्रम संख्या	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
	भूगोल	
अध्याय–1	भारत के प्रमुख संसाधन भाग-1 (मृदा एवं जल)	3-6
अध्याय–2	भारत के प्रमुख संसाधन भाग- 2 (वन एवं वन्य जीव)	7-9
अध्याय–3	भारत के प्रमुख संसाधन भाग- 3 (खनिज एवं ऊर्जा)	10-12
अध्याय–4	भारत में विनिर्माण उद्योग	13-15
	इतिहास	
अध्याय– 5	औद्योगिक क्रान्ति	16-17
अध्याय– 6	भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति	18-20
अध्याय– 7	भूमण्डलीकृत विश्व का निर्माण	21-22
अध्याय– 8	स्वतन्त्र्योत्तर भारत के 50 वर्ष	23-25
	राजनीति खण्ड	
अध्याय– 9	लोकतन्त्र	26-28
अध्याय–10	भारतीय संविधान (संघवाद, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्त्तव्य)	29-32
अध्याय–11	भारत में लोक कल्याणकारी योजनाएँ	33-35
	अर्थशास्त्र खण्ड	
अध्याय–12	भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं उसकी अध: संरचना	36-38
अध्याय–13	विकास और उपभोक्ता जागरूकता	39-40
अध्याय-14	भारत में वैश्वीकरण और वित्तीय प्रणाली	41-42
अध्याय-15	भारत की वर्तमान समस्याएँ एवं निदान के प्रयास	43-44
	परिशिष्ट	45-46

भूगोल

अध्याय-1

भारत के प्रमुख संसाधन भाग-1

(मृदा एवं जल)

- हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है, संसाधन कहलाती है।
- किसी भी देश के लिए शिक्षित, कुशल एवं स्वस्थ मनुष्य एक मूल्यवान संसाधन है। आज विश्व के वह देश जिनके पास अधिक संसाधन हैं उन्हें अधिक उन्नत एवं सम्पन्न माना जाता है। इसीलिए संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्त्व है।
- वे संसाधन जिनमें जीव (जीवन) होता है या जीवमण्डल से प्राप्त होते हैं, जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे- मानव, वनस्पति, पशुधन, पक्षी, मछली, कोयला आदि।
- वे संसाधन जिनमें जीव (जीवन) नहीं होता है अर्थात् जो निर्जीव होते हैं, अजैविक संसाधन कहलाते है, जैसे- धातुएँ, वायु, पानी, पत्थर, भूमि आदि।
- जिन संसाधनों को भौतिक, रासायनिक या यान्त्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। **जैसे-** जीव-जन्तु , सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल आदि।
- जिन संसाधनों को एक बार काम में लेने के बाद दूसरी बार काम में नहीं ले सकते तथा जिन्हें नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं किया सकता है, उन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। **जैसे-** चट्टान, मिट्टी, खनिज, जीवाष्म ईंधन, धातुएँ आदि।
- वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति का अधिकार या स्वामित्व होता है, उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे- व्यक्ति की सम्पत्ति, स्वास्थ्य, दक्षता आदि।
- वे संसाधन जिन पर समाज का अधिकार या स्वामित्व होता है, उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे- कुआँ, बावड़ी, पार्क, श्मशान, चारागाह, तालाब आदि।
- जिन संसाधनों पर सरकार का अधिकार या स्वामित्व होता है, उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे- राष्ट्र की सम्पदा, सैन्य शक्ति, नागरिकों की देशभक्ति आदि।

- जिन संसाधनों का नियन्त्रण अन्तार्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उन्हें अन्तार्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे- समुद्र पर किसी भी देश का अधिकार उसकी तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक ही होता है।
- वे संसाधन जिनका तकनीकी एवं योजना के अभाव में उपयोग नहीं हो पा रहा है परन्तु भविष्य में उपयोग की सम्भावना है, सम्भावी संसाधन कहते हैं, जैसे- बाँध बन जाने के बाद विद्युत उत्पादन करना, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा ।
- जिन संसाधनों का सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं।
- जब तक किसी पदार्थ के गुण और मानवीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रयोग ज्ञात न हों, तब तक वह पदार्थ गुप्त संसाधन कहलाता है।
- पर्यावरण को बिना हानि पहुँचाए तथा वर्तमान से भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर किये जाने वाले विकास को **सतत पोषणीय विकास** कहते हैं।
- पृथिवी पर पायी जाने वाली मृदा की ऊपरी परत जो चट्टानों तथा वनस्पति के योग से बनती है।
- भारत की भूमि का लगभग 43% भाग मैदान है, जो उद्योगों एवं कृषि के विकास के लिए सुविधाजनक है। 30% भू-भाग पर पर्वत फैले हुए हैं। देश के 27% भू-भाग पर पठार है। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं।
- जलोढ़ मृदा का निर्माण हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद और बालू के निक्षेपों से हुआ है।
- आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है- 1. खादर 2. बांगर। नदियों द्वारा लाई गई नवीन मृदा को खादर कहते हैं। जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुचता या नवीन मृदा का निक्षेप नहीं होता है उसे बांगर कहते हैं।
- जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। जलोढ़ मृदा गेहूं, चावल, गन्ने, दलहन, तिलहन आदि के लिए उपयुक्त होती है।
- काली या रेगुर मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन के कारण हुआ है। इस मृदा का काला रङ्ग इसमें उपस्थित एल्युमीनियम और लोहे के यौगिकों के कारण होता है।

- लाल-पीली मृदा का लाल रङ्ग रवेदार आग्नेय और रूपान्तरित चट्टानों में लोहे के कारण और पीला रङ्ग, जलयोजन के कारण होता है। यह मृदा चावल, मक्का, मूंगफली, तम्बाकू एवं फलों के लिए उपयुक्त है।
- लाल-पीली मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी-पूर्वी, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, मेघालय के पठारी भाग में पायी जाती है।
- लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण एवं आर्द्र जलवायु दशाओं में होता है। यह अम्लीय होने कारण पौधों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। केरल, तमिलनाडु एवं आंध्रप्रदेश की लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है।
- मरुस्थलीय मृदा, लवणीय होती है। जैव पदार्थों (ह्यूमस) की कमी, बलुई एवं पथरीली मृदा, आर्द्रता की कमी आदि मरुस्थली मृदा की विशेषताएँ हैं। मरुस्थलीय मृदा पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाबी क्षेत्रों में पायी जाती है।
- वन मृदा या पर्वतीय मृदा में वन अधिक होते हैं, जिससे इस मृदा में ह्यूमस की अधिकता होती है। ह्यूमस की अधिकता के कारण यह मृदा अम्लीय होती है।
- वनस्पति तथा कृषि के लिए पोषक तत्व मृदा में ही पाये जाते हैं। जल, वायु, मानव, पशु आदि के क्रियाकलापों से मिट्टी की ऊपरी परत का अपने मूल स्थान से हटाना ही मृदा अपरदन कहलाता है।
- जल एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। जल हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता हैं। पृथिवी पर जीवन का आधार जल ही है। वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं के शरीर में जल का अंश प्रधान होता है। मनुष्य के शरीर में 70 प्रतिशत जल होता है।
- ऋग्वेद के निम्न मन्त्र में चार प्रकार के जलों का उल्लेख हुआ है- **या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः। समुद्रार्था याः शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु।** ऋग्वेद (7/49/2)
- भूपृष्ठ पर जल वर्षा व बर्फ के पिघलने से प्राप्त होता है। भारत में कुल पृष्ठीय जल का लगभग 60 प्रतिशत भाग तीन प्रमुख नदियों सिंधु, गङ्गा और ब्रह्मपुत्र में से होकर बहता है।
- वर्षा जल का कुछ अंश भूमि द्वारा सोख लिया जाता है जिसे हम भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। सोखा हुआ जल धरातल के नीचे अभेद्य चट्टानों तक पहुँचकर एकत्रित हो जाता है।
- वर्षा जल का कुछ अंश भाप बनकर वायुमण्डल में लौट जाता है जिसे वायुमण्डलीय जल कहते हैं। जल वाष्प रूप में होने के कारण इस जल का उपयोग नहीं हो पाता।

- देश के पश्चिम, पूर्व व दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बङ्गाल की खाड़ी और हिन्द महासागर है। इस जल का उपयोग मुख्यतः जलपरिवहन और मत्स्य उद्योग में होता है।
- जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। देश में सिंचाई की प्रथा प्राचीनकाल से चली आ रही है। सिंचाई के तीन प्रमुख साधन हैं- 1. नहरें , 2. कुँए और नलकूप, 3. तालाब।
- वर्षा जल का उचित प्रबन्ध कर संग्रह करना वर्षा जल संरक्षण कहलाता है। मानसून काल में जल को बांधो, तालाबों, झीलों अथवा छोटे जल स्त्रोतों में एकत्रित करके शेष अवधि में प्रयोग लिया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में जल को अमृत एवं जीवन भी कहा गया है।
- कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जो गुजरात के जुनागढ़ में है।
- दक्षिण भारत के चालुक्य शासकों द्वारा विभिन्न बांधों का निर्माण कराया गया था, जिनमें वर्षा जल को एकत्रित करके बाद में उससे सिंचाई की जाती थी।
- पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने 'गुल' अथवा 'कुल' (पश्चिमी हिमालय) जैसी वाहिकाएँ नदी की धारा को मोड़कर कर खेतों में सिंचाई के संसाधन बनाये हैं।

अध्याय-2

भारत के प्रमुख संसाधन भाग- 2

(वन एवं वन्य जीव)

- पृथिवी का वह विस्तृत क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वृक्षों की प्रधानता है वन कहलाते हैं। वन प्रकृति की अमूल्य देन है। वैदिक वाङ्मय में अन्तर्गत ऋग्वेद के निम्न मन्त्र में वन संसाधन को मानव जीवन के लिए मूल्यवान बताया है।
- **शतंवोअम्बधामानिसहस्त्रमुतवोरुहः।अधाशतकत्वोयूयमिममेअगदंकृत॥ओषधीःप्रतिमोदध्वंपुष्पावतीःप्रसूवरीः।अश्वाइवसजित्वरीर्वीरुधःपारयिष्णवः॥** (ऋ.10.97.2-3) अर्थात् सोम वनस्पति को ऊर्जावान, स्फूर्तिदायक और बलवर्धक माना गया है तथा वनस्पतियों को देवतुल्य माना है।
- भारत में वनक्षेत्र या वृक्षावरण 8,07,276वर्ग किलोमीटर हैं, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 24.56 % हैं। जबकि भारत में कुल भू-भाग के 33 % क्षेत्र में वन होने चाहिये।
- भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़िसा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड हैं।
- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में पेड़-पौधों की लगभग 47,000 प्रजातियाँ हैं 5000 प्रजातियाँ तो ऐसी है जो केवल भारत में ही मिलती हैं।
- सदाबहार वन देश के उन भागों में मिलते हैं, जहाँ औसत वर्षा 200 से.मी. से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 240 से.ग्रे. के लगभग रहता हैं। इन वनों में मुख्य रूप से रबर, महोगनी, एबोनी, लौह काष्ठ, जङ्गली आम, ताड़ आदि वृक्ष या बांस तथा कई प्रकार की लताएँ पायी जाती हैं।
- भारत में सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी-पूर्वी भारत में बङ्गाल, असम, मेघालय और तराई प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाये जाते हैं।
- पतझड़ी या मानसूनी वन, उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं, जहाँ 100 से.मी. से 200 से.मी. तक औसत वार्षिक वर्षा होती हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष साल, सागवान, नीम, चन्दन, रोजवुड, आंवला, शहतूत, एबोनी, आम, शीशम, बाँस आदि हैं।
- भारत में पतझड़ी वन, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के निचले भाग, विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर व असम की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग एवं पश्चिम घाट के पूर्वी भाग में पाये जाते हैं।
- शुष्क वन, उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं, जहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 50 सेमी से 100 सेमी तक होता है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष बबूल, नीम, आम, महुआ, करील, खेजड़ी आदि हैं।

- मरुस्थलीय वन, 50 सेमी से कम वर्षा वाले भागों के पाये जाते हैं। इन वनों के वृक्षों में पत्तियाँ कम, छोटी तथा काँटेदार होती हैं। बबूल, नागफनी, रामबांस, खेजड़ी, आदि यहाँ की प्रमुख वनस्पति हैं।
- ज्वार-भाटे के समय समुद्र का अग्रसित जल वृक्षों की जड़ों को सींचता है इसलिए इन्हें ज्वारीय वन या दलदली वन कहते हैं। इन वनों के सुन्दरी वृक्ष गङ्गा-ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में विशेष रूप से पाए जाते हैं। अन्य वृक्ष ताड़, नारियल, हैरोटीरिया, राइजोफोरा, सोनेरेशिया आदि हैं।
- पर्वतीय वन में वृक्षों की पत्तियाँ घनी व सदाबहार तथा टहनियों पर लताएँ छाई रहती हैं। अधिक ऊँचे भागों मे यूजेनियाँ, मिचेलिया व रोडेनड्राँस आदि वृक्ष मिलते हैं। ये वन दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर तथा मध्यप्रदेश के पञ्चमढ़ी तथा हिमालय के ऊँचे भागों में पाए जाते हैं।
- लकड़ी की प्राप्ति वनों से हमे लकड़ी प्राप्त होती है जो कि ईंधन का महत्त्वपूर्ण साधन है। वनों से सहायक उपजों के रूप में लाख, गोंद, शहद, कत्था, मोम, छालें, बाँस, अनकों जड़ी-बूँटियाँ एवं जानवरों के सींग आदि मिलते हैं ये लाभकारी उद्योगों के आधारभूत तत्व हैं।
- वनों के अप्रत्यक्ष के पोषक तत्वों में कमी नहीं होती एवं मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। मिट्टी के कटाव में कमी वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह नहीं तेज वर्षा में भी नही बह पाती है।
- सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि "यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोककर मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वन सम्पदा के क्षय को अवश्य रोकना होगा।"
- स्वतन्त्रता के पूर्व भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1894 में वन नीति के अनुसार वनों की देखरेख एवं विकास हेतु हर राज्य में वन विभाग की स्थापना की गई। इस नीति के दो मुख्य उद्देश्य थें- राजस्व प्राप्ति और वनों का संरक्षण।
- भारत में 1950 को एक केन्द्रीय वन बोर्ड की स्थापना की गई। 7 दिसम्बर, 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई। 1988 की वन नीति को क्रियाशीलता के लिए 1999 में एक 20 वर्षीय राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना लागू की गई।
- केंद्रीय मन्त्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने बताया कि देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 प्रतिशत है। वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2,261 वर्ग किमी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- वनों के साथ-साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्त्वपूर्ण संसाधन हैं। वन्य जीवों से मांस, खाल, हाथीदाँत आदि प्राप्त होते हैं।
- वनों के साथ-साथ मानव ने वन्य प्राणियों का भी विनाश किया है। इससे वन के जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। बाघ, सिंह, हाथी, गेंडे आदि की संख्या में निरन्तर कमी आ रही है।

- आने वाले कुछ ही वर्षों में वन्य प्राणियों की कुछ प्रजातियाँ पूर्णतः विलुप्त हो जाने की सम्भावना है। इन्हें पर्यावरण संतुलन के लिए वन्यप्राणियों का संरक्षण आवश्यक है।
- वन्यजीवों की वे जातियाँ जो मानव के क्रिया कलापों में सहायक होती है, सामान्य जातियाँ कहलाती हैं। इसके अन्तर्गत पालतु पशु आते हैं।
- वन्यजीवों की वे जातियाँ, जिन पर निकट भविष्य में विलुप्त होने का संकट होने सम्भावना है। संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती हैं। जैसे- काला हिरण, शेर, गेंड़ा आदि।
- वन्यजीवों की वे जातियाँ जिनकी संख्या कम हो रही है, उन्हें सुभेद्य जातियाँ कहते है, जैसे- एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी, हिमालय के भूरे भालू, गङ्गा नदी की डॉल्फिन आदि।
- वन्यजीवों की वे जातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम हैं, उन्हें दुर्लभ जातियाँ कहते हैं, जैसे- गङ्गा डाल्फिन, हार्नबिल आदि।
- वन्यजीवों की क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जातियों को स्थानिक जातियाँ कहते है, जैसे- राजस्थान का चिंकारा, निकोबारी कबूतर, जङ्गली सुअर और अरुणाचल के मिथुन आदि।
- वन्यजीवों की वे जातियाँ जो पृथिवी से ही समाप्त हो चुकी हैं, उन्हें लुप्त जातियाँ कहते है, जैसे- एशियाई चीता, गुलाबी सिरवाली बतख आदि।
- भारत में विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। यहाँ प्राणियों की लगभग 75,000 प्रजातियाँ पायी जाती हैं। उनमें 350 स्तनधारी, 1313 पक्षी, 408 सरीसृप, 197 उभयचर, 2546 मछलियाँ, 50,000 कीट, 40,000 मोलस्क तथा अन्य बिना रीढ़ वाले प्राणी हैं।
- भारत, विश्व का एकमात्र देश हैं जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात में गिर के जंगल हैं।
- भारत में वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों को वरीयता दी गई। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1905 ई. में असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। स्वतन्त्रता के बाद भारत में सन् 1970 तक पाँच राष्ट्रीय उद्यान थें।
- 1972 ई. में भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और टाइगर परियोजना को संरक्षण के लिए अधिनियम पारित किया गया और इसी समय 1972 ई. में शेर परियोजना आरम्भ की गई। बाघ परियोजना 1973 ई. में आरम्भ की गई। घड़ियाल परियोजना 1974 ई. में आरम्भ की गई।
- मानस राष्ट्रीय उद्यान जङ्गली भैंसों, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1928 में एक अभयारण्य के रूप में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्कों द्वारा 1985 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है।

अध्याय-3

भारत के प्रमुख संसाधन भाग- 3

(खनिज एवं ऊर्जा)

- मानव जीवन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव को संसाधन के रूप में अनेक उपहार दिये हैं, जिनमें खनिज तथा ऊर्जा संसाधन भी महत्त्वपूर्ण है। प्राचीन समय से ही हमारी सभ्यताओं के विकास में खनिज एवं ऊर्जा का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
- ऋग्वेद के मन्त्र में सात प्रकार की जीवनोपयोगी मूल्यवान धातुओं का उल्लेख है एवं यजुर्वेद के मन्त्र में समस्त प्रकार के हीरे, मिट्टियाँ, पर्वत (इनसे प्राप्त उत्पाद), बालुकामय क्षेत्र, वनस्पतियाँ, सुवर्ण, श्याम लौह, ताँबा, लाल लौह (टिन व रांगा) और सीसा धातुएँ हमें यज्ञ अर्थात् रसायन, शिल्प, भूगर्भ विद्या के प्रयोग से प्राप्त हों।
- रस रत्नाकर में भी कहा गया है- क्रमेण कृत्वाम्बुधरेण रंजितः, करोति शुल्वं त्रिपुटेन काञ्चनम्। सुवर्णं रजतं ताम्रं तीक्ष्णवंग भुजङ्गमा लौहकं। षड्विधं तच्च यथापूर्वं तदक्षयम्। इस श्लोक में धातु अक्षय रहने का क्रम बताने के साथ सोने को सर्वाधिक अक्षय बताया है।
- भूपृष्ट के नीचे बहुत गहराई तक खोदकर बहुत से पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं जिन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। परन्तु कहीं-कहीं ये पदार्थ भूमि के कटाव के कारण धरातल पर ही मिल जाते हैं।
- पृथिवी पर कोयला अत्यन्त प्राचीन काल से ही विद्यमान था। परन्तु भाप शक्ति के आविष्कार के बाद यह खनिज संसाधन बना। उसके बाद बड़े पैमाने पर कोयले का खनन तथा उपयोग किया जाने लगा। खनिज संसाधन से सम्पन्न देशों में भारत की गणना की जाती है।
- धात्विक खनिज के अन्तर्गत वे खनिज पदार्थ आते है जिनमें धातु की मात्रा पर्याप्त रूप से मिलती है। सामान्य रूप से यह खनिज कठोर होता हैं तथा इन्हें अयस्क के रूप में प्राप्त करते हैं।
- वे धातुएँ जिसमें लौहे का अंश प्रमुखता से पाया जाता है, उन्हें लौह धातु कहते है। जैसे- लोहा, टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमाईट आदि। वे धातुएँ जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, उन्हें अलौह धातु कहते है। जैसे- सोना, चाँदी, ताँबा, जस्ता, सीसा, टिन, मैग्नीशियम आदि।
- अधात्विक खनिज के अन्तर्गत वे खनिज पदार्थ आते हैं जिनमें किसी धातु का अंश नहीं होता है। जैसे- संगमरमर, चूना पत्थर, रॉक फास्फेट, जिप्सम, अभ्रक, डोलामाइट आदि।
- भारत में खनिज संसाधन के सुरक्षित भण्डार है। छोटा नागपुर के पठार में खनिज पदार्थों अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। भारत का लगभग 40% खनिज पदार्थ यहीं पाया जाता है।

- खनिज तथा अन्य पदार्थों के मिश्रण (जो जमीन से प्राप्त किया जाता है) को अयस्क कहते हैं। रासायनिक क्रियाओं द्वारा धातुओं को अयस्क से अलग किया जाता है।
- संसार के लौह उत्पादक देश में भारत का आठवाँ स्थान है। भारत में प्रमुख 4 प्रकार (मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट) के लौह अयस्क मिलते हैं।
- भारत में ताँबा कायान्तरित चट्टानों में सल्फाइट और चारकापाइराइट के अयस्क के रूप में मिलता है। भारत में ताँबे का विश्व का 0.1% भण्डार है। देश में ताँबे का उत्पादन मांग की अपेक्षा कम होता है।
- ताँबा, विद्युत का सुचालक है अतः प्रशीतलक उद्योग तथा विभिन्न उद्योगों में भी ताँबे का उपयोग होता है। राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखण्ड तथा कर्नाटक ताँबा उत्पादक राज्य हैं।
- भारत में बॉक्साइट के कुल भण्डार का 95% भाग उड़ीसा, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा तथा तमिलनाडु में स्थित हैं।
- लोहे में मैंगनीज को मिलाकर उसे कठोरता प्रदान की जाती है। मैंगनीज का उपयोग मुख्यरूप से पेण्ट, कीटनाशक दवाइयाँ और ब्लीचिंग पाउडर आदि बनाने में किया जाता है।
- अभ्रक प्लेटों अथवा पत्रण, आग्नेय व कायान्तरित चट्टानों में पाया जाता है। यह लाल, काला, पीला, हरा, भूरा अथवा पारदर्शी तथा चमकीला होता है। अभ्रक उत्पादन में देश में आन्ध्र प्रदेश का प्रथम राजस्थान का द्वितीय तथा झारखण्ड का तृतीय स्थान है।
- वे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। **जैसे-** कोयला, प्राकृतिक गैस, पैट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम आदि।
- वे साधन, जो कि भूगर्भ में सीमित अवस्था में हैं तथा उपयोग के साथ समाप्त हो रहे हैं, क्षयशील साधन कहलाते हैं, जैसे- कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि।
- वे साधन, जिनके समाप्त होने का भय नहीं है, नव्यकरणीय साधन कहलाते हैं, जैसे- विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि।
- ऊर्जा संसाधन के ऐसे संसाधन जिनका उपयोग प्राचीन समय से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं परम्परागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, जैसे- विद्युत, कोयला, लकड़ी, पैट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि।
- पृथिवी के गर्भ से निकालकर प्राप्त किया जाने वाला तेल खनिज तेल या पेट्रोलियम कहलाता है। यह तेल पृथिवी के गर्भ में यह नमकीन जल और गैसों के साथ मिला रहता है। उत्पादित पैट्रोलियम को शोधन कर पैट्रोल, डीजल, केरोसीन, मोम, तारकोल आदि को बनाया जाता है।
- प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग करने पर कार्बनडाई-ऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुआँ से निकलती है।

- त्रिपुरा प्राकृतिक गैस उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कृष्णा- गोदावरी नदी बेसिन, बॉम्बे हाई, गुजरात, राजस्थान, असम में प्राकृतिक गैस के विशाल भण्डार है।
- भारत में ताप विद्युत, मुख्यतः कोयला व गैस से प्राप्त की जाती है। पानी को गर्म करके प्राप्त उच्च दाब पर बनी भाप को टरबाइन द्वारा यान्त्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
- जल विद्युत ऊर्जा का स्थाई स्रोत है। पृथिवी पर जब तक जल धाराएँ प्रवाहित हैं तब तक जल विद्युत प्राप्त होती रहेगी। जल विद्युत, जल के बहाव से टरबाइन चलाकर उत्पन्न की जाती है।
- परमाणु ऊर्जा प्लांटों के माध्यम से आण्विक खनिजों (यूरेनियम, थोरियम, वेरीलियम एवं जिरकोनियम) से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को 'आण्विक ऊर्जा' कहा जाता है।
- भारत में 1948 ई. में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया है, जिसके द्वारा 17 परमाणु ऊर्जा संयन्त्रों की स्थापना की गई है।
- तारापुर (महाराष्ट्र) में देश के प्रथम परमाणु ऊर्जा संयन्त्र की स्थापना की गई।
- गैस एवं खनिज तेल का ईंधन के रूप में प्रयोग कर ताप-विद्युत के उत्पादन में गैस एवं खनिज तेल प्रयोग किया जाता है।
- ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिनका विकास पिछले कुछ दशकों में हुआ हो अथवा वर्तमान में उनका विकास किया जा रहा है उन्हें गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं।
- गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधन के अन्तर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है।
- सूर्य से प्राप्त ताप से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। फोटो वौल्टैइक तकनीक द्वारा सौर ऊर्जा (धूप) को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
- पवन ऊर्जा से तात्पर्य पवन चक्कियों को चलाकर विद्युत उत्पादन करने से है। भारत में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान तथा तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के विकास की अधिकांश सम्भावनाएँ हैं।
- गोबर, पेड़-पौधों की पत्तियों, झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट आदि जैविक पदार्थों के अपघटन से जो गैस बनाई जाती है, उसे **बायोगैस** कहते हैं। इसकी तापीय क्षमता केरोसीन से अधिक होती है।
- वह विद्युत जो भूमि के आन्तरिक तापमान से उत्पन्न की जाती है, भू-तापीय ऊर्जा कहलाती है।
- ऊर्जा के नव्यकरणीय स्रोतों का तीव्रता से विकास किया जाए। देश में उत्पादित होने वाली ऊर्जा का समुचित वितरण सुनिश्चित हो ताकि ऊर्जा का ह्रास न हो सके।

अध्याय- 4

भारत में विनिर्माण उद्योग

- कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं तथा इन उत्पादन करने वाली इकाई को उद्योग कहते हैं।
- अथर्ववेद में शिल्पियों, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को उत्तम बताते हुए उन्हें **पुरुदमासः** (7.73.1) कहा गया है। वेदों में लगभग 140 प्रकार के छोटे-बड़े व्यवसायों की जानकारी मिलती है।
- सिन्धु सभ्यता की खुदाई से प्राप्त सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन तथा कांसे की मूर्तियाँ तथा महरौली (दिल्ली) में स्थित जंगरोधी लौह स्तम्भ भारतीय प्राचीन औद्योगिक विकास के द्योतक हैं।
- ऐसे उद्योग जो शिल्पकारों द्वारा अपने घर पर कम पूँजी व श्रम की सहायता से चलाये जाते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं, जैसे- टोकरी, चटाई, स्वेटर, अचार, मिट्टी के बर्तन एवं मूर्तियाँ बनाना आदि।
- ऐसे उद्योग जिनमें 10 से 100 श्रमिक कुछ मशीनों, पूँजी, श्रम आदि से निर्माण कार्य करते हैं लघु उद्योग कहलाते हैं। माचिस उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ईंट उद्योग, आदि लघु उद्योग हैं।
- ऐसे उद्योग जिनमें अधिक पूँजी, श्रम, उच्चस्तरीय प्रौद्योगिकी व बिजली की आवश्यकता होती है उन्हें वृहत उद्योग कहते हैं। सूती वस्त्र, सीमेंट, लौह-इस्पात, ऑटो मोबाईल, चीनी उत्पादन आदि उद्योग वृहद् उद्योग के उदाहरण हैं।
- वे सभी उद्योग जिनका स्वामित्व एवं सञ्चालन एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता हैं उन्हें निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं, जैसे- अम्बूजा सीमेन्ट, बजरङ्ग दाल मिल, आदि।
- जिन उद्योगों का स्वामित्व एवं सञ्चालन सरकार द्वारा होता है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं, जैसे- हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL), स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (SAIL) आदि।
- वे उद्योग जिन्हें सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाये जाते हैं उन्हें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे-ऑयल इण्डिया लिमिटेड, मारूति उद्योग लिमिटेड आदि।
- वे उद्योग जिनका स्वामित्व एवं सञ्चालन कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता या श्रमिकों या दोनों के द्वारा होता हैं उन्हें सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। आनन्द मिल्क यूनियन लिमिटेड, सरस डेयरी आदि सहकारी क्षेत्र के उद्योगों के उदाहरण हैं।
- वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता हैं, कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे- खाद्य प्रसंस्करण, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चीनी उद्योग आदि।

- वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप मे सागरों एवं महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग किया जाता है, समुद्र आधारित उद्योग कहते हैं।
- वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का उपयोग किया जाता हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे- लौह इस्पात उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, पैट्रो रसायन उद्योग आदि।
- वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं उन्हें वन आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे- फर्नीचर,कागज, औषधी, झाड़ू, बीड़ी, माचिस उद्योग आदि।
- औपनिवेशिक भारत में आधुनिक उद्योगों का आरम्भ सन् 1854 में मुम्बई में सूती वस्त्र उद्योग तथा सन् 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी घाटी में जूट उद्योग की स्थापना से हुआ था।
- स्वतन्त्र भारत में सन् 1948 में पहली औद्योगिक नीति जारी की गई, जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करते हुए रोजगारपरक, कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर बल दिया गया।
- आधुनिक भारत में प्रथम लौह-इस्पात कारखाने की स्थापना पश्चिम बङ्गाल के कुल्टी नामक स्थान पर 1874 में बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से हुई, जो 1889 में बङ्गाल लोहा एवं इस्पात कम्पनी में परिवर्तित हो गई थी।
- जमशेद जी टाटा ने 1907 में सांकची (झारखण्ड) में 'टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' तथा 1909 में आसनसोल (पश्चिम बङ्गाल) के निकट हीरापुर में भारतीय लौह-इस्पात कम्पनी की स्थापना की गई।
- 1964 ईस्वी में बोकारो (झारखण्ड) में लौह-इस्पात उद्योग स्थापित किया जो कि एशिया का सबसे बड़ा लौह-इस्पात उद्योग है।
- 1973 ई. में इस उद्योग में गुणात्मक वृद्धि करने के उद्देश्य से स्टील ओथोरिटी ऑफ इण्डिया (SAIL) की स्थापना की गई, जो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों का प्रशासनिक कार्य करता है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन 102 करोड़ टन रहा था। विश्व में चीन के बाद भारत का इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान है।
- भारत में सन् 1861 तक 12 सूती वस्त्र मिलें थीं जो सन् 1947 में बढ़कर 417 मिलें हो गईं। वर्तमान में 2000 से अधिक सूती वस्त्र मिल हैं, जिनमें 40 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।
- वर्तमान भारत में सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, पश्चिमी बङ्गाल, राजस्थान आदि प्रमुख राज्य हैं। विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में भारत दूसरा बड़ा देश है।
- सीमेन्ट उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। इसका आविष्कार सन् 1824 में इंग्लैण्ड के पोर्टलैण्ड में जोसेफ नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। इसलिए इसे पोर्टलैण्ड सीमेन्ट कहा जाता है।

- भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेन्ट कारखाना सन् 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया गया। सन् 1912 में भारतीय सीमेन्ट कारखाना गुजरात के पोरबन्दर में स्थापित किया गया।
- राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु आदि प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य हैं। सीमेन्ट उत्पादन में भारत, विश्व का चीन के बाद दूसरा स्थान पर हैं।
- कागज उद्योग भारत का प्राचीन कुटीर उद्योग रहा है। भारतीय ऋषि-मुनियों के द्वारा दिये गये ज्ञान को भोजपत्रों, ताड़पत्रों तथा हस्तनिर्मित कागज पर संरक्षित किया गया। यह ऐसा उद्योग है, जिसमें कृषि तथा पेड़ों के अवशिष्ट से लुग्दी बनाकर कागज तैयार किया जाता है।
- देश में पहली पेपर मिल सन् 1812 में सेरामपुर (बङ्गाल) में लगाई गई। सन् 1879 में भारतीय पेपर मिल लखनऊ में इण्डियन पेपर मिल के नाम से स्थापित की गई। सन् 1881 में टीटागढ़ (बङ्गाल) पेपर मिल की स्थापना हुई।
- स्वतन्त्रता के समय देश में 17 पेपर मिल थी जिनकी उत्पादन क्षमता 19000 टन थी। वर्तमान में लगभग 800 बड़े एवं छोटे कारखाने है, जिनमें 128 लाख टन कागज का उत्पादन हो रहा हैं।
- भारत में पश्चिमी बङ्गाल, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आदि राज्यों में कागज उद्योग का विकास हुआ है। मध्यप्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज का कारखाना तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना है।
- देश की प्रथम चीनी मिल सन् 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिलें के प्रतापपुर नामक स्थान पर स्थापित की गई। देश में वर्तमान में 735 चीनी मिलें हैं।
- पटसन उद्योग भारत का पुराना पारम्परिक उद्योग है। भारत में आधुनिक प्रकार का पहला पटसन कारखाना कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर 1859 में लगाया गया था।
- भारत की G.D.P. में रसायन उद्योग का लगभग 3% योगदान है। आकार की दृष्टि से यह उद्योग एशिया का तीसरा तथा विश्व का 6 वाँ बड़ा उद्योग है।
- भारत के वर्तमान विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। सन् 2009 में सकल घरेलु उत्पाद में 5.19% का योगदान था। सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से बैंगलुरू को सिलिकॉन वैली (भारत की आई.टी. राजधानी) कहते हैं।
- देश में पिछले 18-20 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है वहीं शेष 10% योगदान खनन, गैस, विद्युत तथा ऊर्जा का है।

अध्याय- 5

औद्योगिक क्रान्ति

- औद्योगिकीकरण से आशय कारखानों के विकास, उनसे होने वाले उत्पादन तथा उनमें काम करने वाले श्रमिकों से लिया जाता है। विश्व में फैक्ट्रियों की स्थापना से पूर्व भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था इसलिए इस काल को आदि औद्योगीकरण का काल कहते हैं।
- ई.टी. पॉल म्यूज़िक कम्पनी ने सन् 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी जिसकी जिल्द पर दी गई तसवीर में 'नयी सदी के उदय' (डॉन ऑफ़ द सेंचुरी) का ऐलान किया था।
- औधोगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमे आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। जिसका उद्देश्य उत्पादन के साधनों मे वृद्धि करना, मनुष्यों के श्रम की जगह मशीनों पर निर्भर करना और कम से कम मेहनत मे जीवन स्तर को ऊपर उठाना होता है।
- औधोगिकरण कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कल-कारखानों तक ही सीमित रहती है बल्कि यह मूलतः एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत मशीनों के माध्यम से उत्पादन मे वृद्धि की जाती है।
- इंग्लैण्ड में कारखानों का निर्माण सन् 1730 के दशक में शुरू हुआ और 18वीं सदी के अन्त तक पूरे इंग्लैण्ड में अनेक स्थानों पर कारखाने दिखाई देने लगे।
- 19वीं सदी के मध्य तक अर्थव्यवस्था के अच्छे दौर में भी शहरों की जनसंख्या का 10% भाग अत्यधिक गरीबी में रहता था। आर्थिक मंदी के दौरान बेरोजगारी दर 35% से 75% के बीच हो गई थी।
- 1840 के दशक के बाद शहरों में भवन निर्माण में तेजी आने के कारण रोजगार के नवीन अवसर प्रारम्भ हुए, सन् 1840 में परिवहन उद्योग में श्रमिकों की संख्या दोगुनी हो गई थी।
- भारतीय सूती वस्त्र अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थे। इन वस्त्रों की बाजारों में इतनी मांग थी कि तात्कालीन अंग्रेज अफसर हेनरी पतूलो (सन् 1772) ने कहा था कि दुनिया के किसी भी देश में भारत से अच्छा कपड़ा नहीं बनता है।
- 1811-12 ई. में भारत से होने वाले निर्यात में 33% सूती कपड़ा होता था, जो सन् 1850-51 ई. में केवल 3% रह गया। इंग्लैण्ड की सरकार ने इंग्लैण्ड में सीमा शुल्क लगा दिया।
- 18वीं सदी के अन्त तक भारत में सूती कपड़ों का आयात नगण्य था, जो सन् 1850 ई. तक 31% तक हो गया और सन् 1870 के दशक तक यह अंश बढ़कर 70% हो गया। इसका प्रमुख कारण मैनचेस्टर की मिलों में बना कपड़ा।

- 1860 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध शुरु होने के कारण वहाँ से इंग्लैण्ड को मिलने वाली कपास की आपूर्ति बन्द हो चुकी थी, जिसके कारण भारत से कपास इंग्लैण्ड को निर्यात होने लगी।
- 19वीं सदी के अन्त तक भारत में सूती कपड़े के कारखाने खुलने लगे। भारत में पहली कपड़ा मील सन् 1854 ई. में मुम्बई स्थापित की गई।
- फैक्ट्री मालिकों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जाबर रखते थें, जो उनका विश्वस्त और वफादार होता था और यह मजदूरों की शहर में आवास आदि की व्यवस्था में सहयोग करता था। मिलों की स्थापना से श्रमिकों की मांग बढ़ी, जिससे शहरीकरण को बढ़ावा मिला।
- शहरीकरण एक लम्बी प्रक्रिया है, लेकिन आधुनिक शहरों के उदय का इतिहास 200 वर्षों से अधिक पुराना नहीं है। औद्योगिक क्रान्ति के कारण नगरीकरण को बढ़ावा मिला।
- सन् 1851 में मैनचेस्टर में आबादी का तीन चौथाई से अधिक भाग गाँवों से आने वाले मजदूर का था। लंदन पहले से ही एक बड़ा शहर था। 18 वीं सदी के मध्य तक इंग्लैण्ड एवं वेल्स के प्रत्येक 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था।
- प्रथम विश्व युद्ध (सन् 1914 से 1919 तक) के दौरान लंदन में कार और इलेक्ट्रिकल उत्पादों का निर्माण शुरु होने के साथ लंदन में बड़े कारखानों की शुरूआत हुई।
- बाल मजदूरी (बाल श्रम) को रोकने के उद्देश्य से दो कानून बनें- 1. सन् 1870 का कम्पल्सरी एज्यूकेशन एक्ट। 2. सन् 1902 का फैक्ट्री एक्ट।
- भारत में प्राचीनकाल से ही भोजपत्र एवं ताड़ पत्र आदि कागज उद्योग एवं हस्त मुद्रण का स्वरूप थे। इन पर अनेक भाषाओं में पाण्डुलिपियाँ लिखी जाती थी।
- आधुनिक भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 6 दिसम्बर सन् 1556 को लगाई गई। 1557 में यहीं सेंट जेवियर ने 'दौक्रीना क्रिस्ताओं' नामक पुस्तक छपवाई।
- सन् 1778 में हुगली में बाङ्गला भाषा का व्याकरण छपा था। भारतीय भाषाओं में सबसे पहले तमिल भाषा के टाइप बनाए गए। नागरी लिपि के टाइप सबसे पहले यूरोप में बने। अस्थानासी किंचेरी कृत **चाइना इलस्टरेटा** 1675 ई. में प्रकाशित पहली पुस्तक है, जिसे नागरी लिपी में मुद्रित किया गया था।
- भारत में बाङ्गला तथा नागरी टाइप के जनक दो व्यक्ति थे- चार्ल्स विल्किंसन तथा पञ्चानन कर्मकार। चार्ल्स विल्किंसन, 1778 ई. में पहली बार बाङ्गला भाषा का व्याकरण छापा। 1779 ई. में गिलक्राइस्ट ने देवनागरी लिपि में पहली पुस्तक हिन्दुस्तानी भाषा का व्याकरण ने छपवाया था।

अध्याय- 6

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति

- यजुर्वेद में राष्ट्र कल्याण की कामना का उल्लेख इस मन्त्र में अभिव्यक्त हुआ है- **राष्ट्रे राजन्यः शूर इष्व्योऽतिव्याधि महारथो जायताम्।** (यजु. 28.22)।
- **अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम्।** (अथर्व.6.78.2) अर्थात् हमारे राष्ट्र में वीर, धनुर्धारी, महारथी आदि हों। अथर्ववेद में भी राष्ट्र के धन-धान्य, दुग्ध आदि से संवर्धित होने की प्रार्थना की गई है।
- वाल्मिकी रामायण का यह श्लोक- **अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी॥** राष्ट्रवाद की अवधारणा को प्रतिष्ठित करता है।
- राष्ट्र से आशय उस भू खण्ड विशेष से है, जहाँ लोग किसी एक संस्कृति विशेष से आबद्ध होते हैं। वे देश जिनमें देशवासियों को भी आत्मसात करने की शक्ति होती है, वे राष्ट्र कहलाते हैं।
- राष्ट्र के आवश्यक तत्व हैं- भू-भाग, जनसंख्या, प्रभुसत्ता, सभ्यता और संस्कृति, भाषा और साहित्य राष्ट्रीय विरासत पर गर्व तथा राष्ट्रीय एकता। भारतीय संस्कृति का आदर्श **वसुधैव कुटुम्बकम** है।
- बंकिम चन्द्र चटर्जी के द्वारा रचित उपन्यास आनंदमठ में 'वन्दे मातरम' का वह गीत रचा गया जिसने लाखों-करोड़ों भारतीयों में राष्ट्रीयता एवं स्वराज की भावना को जन्म दिया था।
- ब्रिटिश शासन ने 19 जुलाई 1905 को बङ्गाल-विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। बङ्गाल विभाजन के विरोध में 'स्वदेशी' और 'बहिष्कार' आन्दोलन का जन्म हुआ।
- ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश 'सर सिडनी रॉलेट' की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की एवं कमेटी ने 1918 ई. में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के अन्तर्गत केन्द्रीय विधानमण्डल (फरवरी 1919 में) दो विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया।
- अमृतसर की स्थिति को देख सरकार ने 10 अप्रैल सन् 1919 को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ओ. डायर को सौंप दिया। सभा के आयोजनों एवं प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई।
- 13 अप्रैल, 1919 को करीब साढ़े चार बजे शाम को अमृतसर के जलियाँवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन हुआ। जिसमें लगभग 10,000 लोग सम्मिलित हुए। ओ. डायर ने गोली चलवाई थी।
- प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैण्ड ने तुर्की को पराजित कर वहाँ की जनता पर अत्याचार किए। खलीफा को उसके पद से हटाने का निर्णय लिया गया। तुर्की में किए गए ब्रिटेन के इस कार्य की भारत के मुसलमानों ने घोर निन्दा करते हुए अंग्रेजों की खिलाफत की। भारत में 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया।

- असहयोग आन्दोलन महात्मागाँधी द्वारा 1 अगस्त 1920 ई. में प्रारम्भ किया गया था। फरवरी 1922 ई. में चौरी चौरा घटना के कारण इसे स्थगित कर दिया था।
- सर जॉन साइमन के नेतृत्व में ब्रिटिश सांसदों का एक समूह भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए 3 फरवरी 1928 ई. में भारत आया था।
- 30 अक्टूबर 1928 ई. में पञ्जाब में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लाला लाजपत राय का देहान्त 17 नवम्बर 1928 ई. में हुआ था।
- गाँधी जी ने उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक की 11 मांगों को लेकर 31 जनवरी, 1930 को वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा था और अंग्रेजी शासन को यह चेतावनी दी कि 11 मार्च 1930 तक उनकी सभी मांगें मान ली जाये अन्यथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया जायेगा।
- 12 मार्च, 1930 को गाँधी जी ने अपने 78 विश्वस्त अनुयायियों के साथ नमक यात्रा प्रारम्भ कर दी। जिसे दाण्डी मार्च या दाण्डी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है।
- गाँधी जी ने 240 किलोमीटर लम्बी यह यात्रा 24 दिन में पूर्ण की। 6 अप्रैल, 1930 को गाँधी जी द्वारा दाण्डी नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। नमक कानून तोड़ने के बाद सारे देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ हुआ।
- आन्दोलन की उग्रता को रोकने के लिए 5 मई 1930 ई. को गाँधीजी को बन्दी बना लिया गया। मगर आन्दोलन जारी रहा। सरकार ने गाँधीजी को 26 जनवरी, 1931 को जेल से मुक्त कर दिया और दोनों के बीच 5 मार्च 1931 ई. को गाँधी इरविन समझौता हुआ।
- गाँधीजी सितम्बर 1931 ई. में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लन्दन गए। ब्रिटिश सरकार की हठधर्मी के कारण सम्मेलन विफल रहा और गाँधीजी वापस भारत आ गए।
- 1935 ई. के एक्ट के अनुसार 1937 ई. में प्रान्तों में चुनाव कराए गए। 11 प्रान्तों में से 7 प्रान्तों में कांग्रेस को सफलता मिली और उसने प्रान्तीय सरकारों का गठन किया।
- भारतीयों की माँग की जगह लार्ड लिनलिथगों ने 8 अगस्त, 1940 ई. को एक प्रस्ताव रखा जो **अगस्त प्रस्ताव** के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में फिर से दोहराया गया कि युद्ध के पश्चात भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की जाएगी।
- 23 मार्च 1940 ई. को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया।
- 8 अगस्त, 1942 ई. को मुम्बई में आयोजित अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया कि भारत में ब्रिटिश सरकार को जल्दी समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है।

- ब्रिटिश सरकार ने 1946 ई. में घोषणा की कि वह भारत में अपना शासन समाप्त करना चाहती है। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का एक दल जो कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, वह सत्ता के हस्तानतरण के बारे में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए भारत आया।
- 21 फरवरी, 1947 को ब्रिटिश सरकार ने नीति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण घोषणा करते हुए लार्ड माउण्टबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया गया था। जिन्होंने 3 जून 1047 ई. को अपनी एक योजना प्रस्तुतकी जिसे माउण्डबेटन योजना कहते हैं।
- 18 जुलाई, 1947 को भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम स्वीकृत हुआ और देश भारत तथा पाकिस्तान दो राष्ट्रों में विभक्त हुआ। अन्ततः 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतन्त्र हो गया।
- सन् 1870 के दशक में उनके द्वारा **वन्दे मातरम्** गीत लिखा गया। सन् 1905 में अवनीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा **भारत माता** को चित्रित किया गया। इस चित्र में भारत माता की छवि शान्त, गम्भीर, दैवीय और आध्यात्मिक गुणों से समन्वित रही। इन दोनों ही रचनाओं ने भारत में राष्ट्रवाद को जगाने में अहम भूमिका निभाई।
- बङ्गाल में स्वदेशी आन्दोलन के दौरान तिरंगा झंडे का निर्माण हुआ । इसमें आठ कमल के फूल और अर्द्ध चन्द्र क्रमशः आठ राज्यों और हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। इसके बाद गाँधी जी के चरखे को स्वावलम्बन का प्रतीक माना गया।

अध्याय- 7

भूमण्डलीकृत विश्व का निर्माण

- वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपान्तरण की प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सम्पूर्ण विश्व के लोग एक समाज निर्माण करते हैं, जिसमें हम सभी एक साथ कार्य करते हैं।
- आधुनिक वैश्वीकरण का प्रयोग आर्थिक वैश्वीकरण के सन्दर्भ में किया जाता है अर्थात् व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूँजी प्रवाह, प्रवास और औद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकरण है।
- वैदिक वाङ्मय के अन्तर्गत वैश्वीकरण का उल्लेख निम्न मन्त्रों में मिलता है। **यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्।** (यजु. 32.8) अर्थात् संसार रूपी घोंसले में रहते हुए,हम अपनी हृदय गुहा में प्रभु के दर्शन करें।
- जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्। (अथर्व. 12.1.45) अर्थात् वैदिक मानव पृथिवी पर किसी एक जाति, भाषा, या संस्कृति का अधिकार न मानकर, वह पृथिवी को विश्व मानव की हितवाहा मानता है।
- रेशम मार्ग (सिल्क रूट) एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ते थे। जिस मार्ग द्वारा चीन से पश्चिमी देशों को सिल्क का निर्यात किया जाता था उस मार्ग को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था।
- सोलहवीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था। नए समुद्री मार्ग की खोज ने न सिर्फ व्यापार को फैलाने में मदद की बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की विजय की नींव भी रखी।
- 16वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई। स्पेन ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना आरम्भ कर दिया था तब ही स्पेनिश सेना व अधिकारियों के साथ चेचक के कीटाणु भी अमेरिका पहुँच गये।
- 18 वीं शताब्दी तक चीन व भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ थे। विश्व व्यापार में इन दोनों देशों का दबदबा था।
- वर्तमान में भूमण्डलीकरण की शुरूआत 16वीं सदी में औपनिवेशिक काल से मानी जाती है। यह प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के गति एवं अवरोधों के बीच निरन्तर चलती रही तथा इस प्रक्रिया के चलते विश्व व्यापार में घटक देशों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा।

- आर्थिक एकीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए सन् 1970 के दशक से सकारात्मक प्रयास किये गये। भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण के द्वारा इस काल में अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार में आशातीत वृद्धि हुई।
- 1980 के दशक में अनेक विकासशील देशों में आर्थिक संकट आया। इन देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण पाने के लिए उसके द्वारा सुझाये गये कार्यक्रमों को लागू किया।
- 18वीं शताब्दी के अन्त में इंग्लैण्ड में जैसे-जैसे शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने लगा कृषि उत्पादों की मांग के साथ कीमत भी बढ़ने लगी। परिणामस्वरूप सरकार नें **कॉर्न लॉ** कानून का प्रयोग कर मक्का के आयात पर रोक लगा दी।
- नहरों से सिचाई वाले क्षेत्रों में पञ्जाब के अन्य भागों से लोगों को लाकर बसाया गया, जिनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाता था।
- 1890 तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का उदय हो चुका था। इसलिए तकनीक, पूँजी प्रवाह, श्रम विस्थापन आदि में बहुत अधिक परिवर्तन हो गये थे।
- 1890 के दशक में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक पशु रोग फैला था। अफ्रीका में भूमि की अधिकता थी और वहाँ की जनसंख्या कम थी। लोगों की आजीविका का साधन कृषि और पशुपालन था।
- उन्नसवीं सदी में बढ़ते वैश्वीकरण के कारण भारत से अनुबन्ध पर श्रमिकों को विदेश ले जाया जाता था, जिन्हें गिरमिटिया कहा जाता था।
- 1800 ई. में भारत के निर्यात में 30% हिस्सा कॉटन के कपड़ों का था। 1815 यह गिरकर 15 % हो गया और 1870 आते आते यह 3% ही रह गया। लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। निर्यात किए गए सामानों में नील (इंडिगो) में तेजी से बढ़ोतरी हुई।
- इतिहास में महामन्दी या भीषण मन्दी (द ग्रेट डिप्रेशन) के नाम से जानी जाने वाली यह घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी थी। यह मन्दी सन् 1929 से शुरू होकर 1939-40 तक जारी रही। विश्व के आधुनिक इतिहास में यह सबसे बड़ी आर्थिक मन्दी थी।
- 1930 की शुरूआत में अमेरिका में पड़े सूखे की वजह से कृषि भी बर्बाद हो गई। अमेरिका की इस मन्दी ने बाद में अन्य देशों को भी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते यह महामन्दी में बदल गई।
- महामन्दी के प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग पर पड़ा। 1929 से 1932 के दौरान औद्योगिक उत्पादन (45%)और भवन निर्माण (80%) में की कमी आई तथा 5 हजार बैंक बन्द हो गये।
- सन् 1929 से सन् 1932 के दौरान आयात में जहाँ 47% की कमी दर्ज हुई वहीं निर्यात 49% घट गया। 1928-29 से 1933-34 के दौरान समुद्र के जरिए होने वाला एक्सपोर्ट 55.75% घटकर 1.25 अरब का रह गया, जबकि इंपोर्ट 55.51% कम होकर 2.02 अरब रुपये पर सिमट गया।

अध्याय- 8

स्वतन्त्र्योत्तर भारत के 50 वर्ष

- वर्ष 1932 में **'कम्यूनल अवॉर्ड'** की घोषणा विभिन्न समुदायों को सन्तुष्ट करने के लिये की गई। इससे सांप्रदायिक राजनीति को और अधिक बढ़ावा मिला।
- भारत की स्वतन्त्रता के साथ ही देश का विभाजन होने के कारण उत्तर-पश्चिमी सीमान्त क्षेत्र, पश्चिमी पञ्जाब, सिन्ध, बलूचिस्तान और पूर्वी बङ्गाल को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण किया गया।
- भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार 15 अगस्त, 1947 ई. को समाप्त हो गया था। 565 देशी रियासतें अब भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती थी या स्वतन्त्र रह सकती थी।
- जम्मू-कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत को स्वतन्त्र रखना चाहते थे। परन्तु 22 अक्टूबर 1947 ई. को पाकिस्तानी सेना तथा कबायलियों के आक्रमण से त्रस्त महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए।
- कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए भारत के प्रधानमन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरू, लार्ड माउण्टबेटन के आग्रह पर कश्मीर की समस्या को सन् 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गये। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोग का गठन कर दोनों देशों में युद्ध विराम करवा दिया।
- तत्कालीन परिस्थितियों में कश्मीर के लिए भारतीय संविधान में अस्थाई तौर पर धारा 370 जोड़ दी गई, जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर को धारा 370 के तहत मिला विशेष राज्य का दर्जा 31 अक्टूबर, 2019 ई. को समाप्त कर दिया गया है।
- भारत का संविधान बनाने के लिए एक 'संविधान सभा' का गठन किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 ई. को हुई। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने बाद में इस संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष का कार्यभार सम्भाला।
- संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिये कुल 22 समितियों का गठन किया गया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई गयी ।
- 26 नवम्बर 1949 ई. को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। इस संविधान को बनने में 2 साल, 11 महीने तथा 18 दिन लगे। इसे 26 जनवरी 1950 ई. को लागू किया गया।
- भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 ई. के दौरान हुए। इस चुनाव में लगभग 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने भाग लिया। इस चुनाव में लोकसभा की कुल 489 सीटें थी तथा 14 राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्थानीय दलों ने चुनाव में भाग लिया।

- हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा (251 पृष्ठों का संविधान) हाथों से लिखा गया संविधान है जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। उन्होंने पारिश्रमिक के रूप में ₹1 भी नहीं लिया।
- भारत की स्वतन्त्रता के बाद भी कुछ क्षेत्रों पर फ्रांस व पुर्तगाल का अधिकार बना हुआ था। पाण्डिचेरी, माही, कालीकट, यानम, चन्द्रनगर जैसे स्थान फ्रांसीसियों के अधिकारमें था। फ्रान्सिसी सरकार ने ये सभी क्षेत्र 1954 ई. में भारत को वापिस लौटा दिये।
- गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली जैसे स्थानों पर पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगाली इन क्षेत्रों को वापिस नहीं लौटाना चाहते थें। लेकिन अंततः भारतीय सेना ने 1961 ई. में पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ दिया। जिसे **ऑपरेशन विजय** नाम दिया गया।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के बहुत से देश विचारधारा के आधार पर दो विरोधी गुटों में बट गए। इन गुटों में से एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ का गुट था। अमेरिका के नेतृत्व में बने गुट को 'पश्चिमी ब्लाक' और सोवियत संघ के नेतृत्व में बने गुट को 'पूर्वी ब्लाक' कहा गया।
- स्वतन्त्र विदेश नीति सञ्चालन की इच्छा के कारण भी भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई है। गुटनिरपेक्षता का आन्दोलन वैश्विक शांति तथा विकासशील देशों का समाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास का प्रतीक रहा है।
- भारत में हरित क्रान्ति के जनक **एम. एस. स्वामीनाथन** को कहा जाता हैं। हरित क्रन्ति 1960 के दशक में शुरू हुई एक अवधि थी।
- 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी।
- भारत ने 1951 ई. में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्राकृतिक संसाधनों से सम्बन्धित मन्त्रालय स्थापित कर दिया गया था।
- भारत ने 1974 ई. एवं 1998 ई. में पोखरण (राजस्थान) से पर माणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनाया। डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्व में **'मिसाइल मैन'** के नाम से जाने जाते हैं।
- हमारे आज के विश्व को **राष्ट्रों का परिवार** कहा जाता है। सात महाद्वीपों में लगभग 198 संप्रभु राज्य हैं, भारत एक सम्प्रभु राष्ट्र है जिसका अर्थ आन्तरिक और बाहरी दोनों मामलों में सर्वोच्च है।
- भारत के सात पड़ोसी देश इस प्रकार हैं- चीन और पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों जैसे भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, इण्डोनेशिया, श्रीलङ्का और बाङ्गलादेश के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं।
- वर्ष 1947-48, 1965, 1971 और फिर 1999 (कारगिल युद्ध) में भारत-पाक युद्ध हुए। इन सभी युद्धों में भारत विजयी हुआ। कश्मीर समस्या और आतंकवाद प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए प्रभावी ढंग से हल किया जाना है।

- भारत पहला गैर-साम्यवादी देश था जिसने 1 जनवरी, 1950 ई. को साम्यवादी चीन को मान्यता दी। प्रधानमन्त्री नेहरू ने सुरक्षा परिषद् में चीन को स्थाई स्थान दिलाने के लिये कई बार प्रयास किए।
- विस्तारवादी प्रवृति के चीन ने 20 अक्टूबर, 1962 ई. को भारत पर ही भयंकर आक्रमण कर दिया। भारत को इस युद्ध में जान-माल की भारी क्षति उठानी पड़ी। तब से लेकर आज तक भारत-चीन सम्बन्ध तनाव और अविश्वास पर आधारित रहे हैं।
- भारत और नेपाल के मध्य बड़े लम्बे समय से गहरे सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं। दोनों के मध्य खुली सीमा विश्वास का प्रतीक रही है।
- 1987 ई. में भारत द्वारा शान्ति सेना भेजे जाने से तनाव अवश्य बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच कुछ मतभेदों होने के बाद भी सम्बन्ध अच्छे हैं।
- बाङ्गलादेश को 1947 ई. से 1971 ई. तक पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 6 दिसम्बर, 1971 ई. को बाङ्गलादेश को मान्यता देने वाला भारत पहला देश था।
- म्यांमार को भौगोलिक स्थिति के कारण इसे दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत और म्यांमार की 1643 कि.मी. के लगभग सीमाएँ आपस में लगती हैं।
- एक लोकतान्त्रिक प्रणाली के रूप में भारत और यू.एस.ए. दोनों बड़े राष्ट्र हैं। हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध वर्तमान विश्व राजनीति में भी महत्त्वपूर्ण हैं। 1947 से लेकर अब तक हमारे आपसी सम्बन्धों में राष्ट्रीय हितों के आधार पर अनेक बार तेजी से बदलाव आए हैं।
- शीत युद्ध के दौरान, भारत और सोवियत संघ के बीच एक मजबूत सामरिक, सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्ध थे। सोवियत संघ के पतन के बाद, रूस को भारत के साथ अपने घनिष्ठ सम्बन्धों की विरासत मिली।
- साम्यवादी देश, सोवियत संघ ने 1962 में चीन की आक्रामकता की निन्दा की। 1961 में गोवा की मुक्ति के दौरान सोवियत रूस ने भारत का समर्थन किया।
- 1966 में, रूस की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान द्वारा ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और सोवियत रूस के साथ 20 साल की सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किये थे।

अध्याय- 9

लोकतन्त्र

- लोकतन्त्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं या अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। लोकतन्त्र को सभी प्रकार की शासन पद्धतियों में अच्छा माना गया है , क्योंकि इसमें किसी न किसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता होती है।
- लोकतन्त्र, अंग्रेजी शब्द **डेमोक्रेसी** (Democracy) का हिंदी अनुवाद है। Democracy ग्रीक भाषा के दो शब्दों **डेमोस** (Demos) तथा **क्रेषिया** (Kratia) के योग से बना है। जहाँ डेमोस का अर्थ- **जनता** से लिया जाता है तथा क्रेषिया का अर्थ होता है- शक्ति या शासन।
- लोकतन्त्र को परिभाषित करते हुए **अब्राहम लिंकन** ने कहा है कि " लोकतन्त्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है।"
- प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की शासन प्रणाली में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है एवं कानून बनाती है साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र केवल छोटे एवं कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही सम्भव है।
- पौराणिक मतानुसार जनता ने राजा वेणु को शासन सत्ता से पदच्युत करके पृथु को राजा बनाया था। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि प्राचीनकाल में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र था।
- वर्तमान में संपूर्ण विश्व के भारत में पञ्चायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामसभाओं में तथा स्विट्जरलैण्ड के कुछ राज्यों (प्रान्तों) में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की व्यवस्था हैं।
- अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र वह शासन प्रणाली है, जिसमें जनता निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती है, जो व्यवस्थापिका का गठन करती हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं। वर्तमान में प्रायः सभी लोकतान्त्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतन्त्र ही पाया जाता है।
- अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र में सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपने-अपने प्रत्याशियों को खड़े करते हैं। राजनीतिक दलों की लोकतन्त्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
- राजनीतिक दल, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है।
- भारतीय संविधान में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले प्रत्येक नागरिक को लिङ्ग, वर्ग, जाति, पंथ के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसे हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते है।

- कुछ नागरिक यह सोचते हैं कि- 'मुझे इससे क्या लाभ होगा? वे यह अनुभव नहीं करते कि चुनाव में मतदान करना उनका अधिकार ही नहीं अपितु कर्त्तव्य भी है।
- जब किसी देश में दो से दो अधिक दल चुनाव लड़ते हों और वे एकल या दूसरे दलों से गठबन्धन करके सरकार बनाते हैं, तो उसे बहुदलीय शासन प्रणाली कहते हैं।
- जब बहुदलीय व्यवस्था में कई राजनीतिक दल चुनाव लड़ने पर सत्ता में आने के लिए आपस में समझौता कर सत्ता में पक्ष या विपक्ष के रूप में सहभाग करते हैं तो इसे गठबन्धन या मोर्चा कहा जाता है।
- भारत में प्रमुख रूप से तीन गठबन्धन हैं- राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन (भाजपा एवं सहयोगी दल), संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (कांग्रेस एवं सहयोगी दल) और वाम मोर्चा (माकपा, भाकपा आदि कम्युनिस्ट दल) आदि।
- दबाव समूह गैर लाभकारी और स्वयंसेवी संगठन होते हैं, जो कारण और नोटिस के आधार पर स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार और औद्योगिक निर्माताओं की नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।
- व्यापार समूह भारत में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभावशाली और संगठित दबाव समूहों में से एक हैं। इनमें भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महा संघ (फिक्की), वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल (एसोचैम) आदि हैं।
- ट्रेड यूनियन मजदूरों और श्रमिकों की मांगों पर ध्यान देती हैं। इन्हें श्रम समूह भी कहा जाता हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन (एटक), सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू), HMS आदि प्रमुख हैं।
- कृषि समूह, भारत के किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। जैसे- भारतीय किसान संघ, हिन्द किसान पञ्चायत आदि।
- मेडिकल एसोसिएसन आफ इंडिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI), मारवाड़ी एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, गाँधीवादी पर्यावरणवादी आदि दबाव समूह हैं।
- हमारे लोकतन्त्र को किस तरह का होना चहिए, निम्न वैदिक मन्त्र पुष्पाञ्जलि (ऋग्वेद परिशिष्ट) में बताया गया है। **ॐ स्वस्ति, साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं। समन्तपर्यायीस्यात् सार्वभौमः सार्वायुषः आन्तादापरार्धात्। पृथीव्यै समुद्रपर्यं ताया एकराळिति॥ मन्त्र का भावार्थ-** हमारा राज्य सर्व कल्याणकारी राज्य हो। हमारा राज्य सर्व उपभोग्य वस्तुओं से परिपूर्ण हो। यहां लोकराज्य हो। हमारा राज्य आसक्तिरहित, लोभरहित हो। ऐसे परमश्रेष्ठ महाराज्य पर हमारी अधिसत्ता हो। हमारा राज्य क्षितिज की सीमा तक सुरक्षित रहें। समुद्र तक फैली पृथिवी पर हमारा दीर्घायु अखंड राज्य हो। हमारा राज्य सृष्टि के अन्त तक सुरक्षित रहें।

- भारत में प्राचीन काल से सुदृढ़ लोकतान्त्रिक व्यवस्था विद्यमान थी। हमारे वैदिक वाङ्मय, सिक्कों, अभिलेखों, विदेशी यात्रियों एवं विद्वानों के वर्णन में इसके प्रमाण हैं। वैदिक वाङ्मय में भी वर्तमान की तरह शासक एवं शासन के अन्य पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन प्रणाली थी।
- प्रसिद्ध गणराज्य लिच्छवि गणराज्य की केंद्रीय परिषद में 7707 सदस्य थे। वर्तमान की तरह परिषदों के अधिवेशन नियमित रूप से होते थे।
- निर्णयों में बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जिसे **भूयिसिक्किम** कहा जाता था। कुछ निर्णयों में सर्वसम्मति आवश्यक थी और कई बार मतदान प्रक्रिया के द्वारा निर्णय होते थे। उस समय में वोट को **छन्द** कहते थे। चुनाव प्रक्रिया सञ्चालन के लिए **शलाकाग्राहक** नामक एक अधिकारी होता था। वैदिक वाङ्मय में तीन प्रकार के मतदान का वर्णन मिलता है।
- वैदिक वाङ्मय में तीन प्रकार के मतदान का वर्णन मिलता है।
- **गूढक** (गुप्त मतदान)- इसमें वर्तमान की तरह पत्र के द्वारा मत दिया जाता था। इसमें मतदान कर्ता का पता नहीं चलता था।
- **विवृतक** (प्रत्यक्ष मतदान)- इस प्रक्रिया में व्यक्ति खुले आम घोषणा करके अपने मत को प्रकट करता था।
- **सङ्कर्णजल्पक-** इस प्रक्रिया में मतदानकर्ता शलाकाग्राहक के कान में चुपके से अपना मत बताता था।
- शलाकाग्राहक कर्त्तव्य परायणता एवं ईमानदारी से इन मतों का लेखा-जोखा रखता था। इसके अतिरिक्त सुव्यवस्थित शासन के सञ्चालन हेतु विभिन्न मन्त्रालयों का गठन किया जाता था। जिसमें गुणवान एवं योग्य व्यक्तियों को इन मन्त्रालयों के लिए चुना जाता था। यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में इन्हें **रत्नि** कहा गया है।
- मन्त्रालयों के गठन का उल्लेख अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, शुक्रनीति, महाभारत, आदि में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार मन्त्रिमंडल में 6 सदस्य होते थे। मनुस्मृति के अनुसार इनमें सदस्य संख्या 7-8 होती थी।

अध्याय- 10

भारतीय संविधान

(संघवाद, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्त्तव्य)

- ऐतरेय ब्राह्मण में विविध शासन प्रणालियों का वर्णन है, जिनके अनेक प्रावधानों का प्रयोग हमारे भारत की संघीय शासन प्रणाली के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेदों में की गई है।
- साम्राज्य प्रणाली के शासक को 'सम्राट' कहते थे। यह पूर्व दिशा के राज्यों (मगध, कलिङ्ग, बङ्ग आदि) में प्रचलित थी। सम्राट एक छत्र शासक होता था।
- भौज्य प्रणाली के शासक को 'भोज' कहते थे। यह प्रणाली दक्षिण दिशा के सत्वत् (यादव) राज्यों में प्रचलित थी। अन्धक और वृष्णि यादव-गणराज्य इसी श्रेणी में आते हैं।
- स्वाराज्य प्रणाली के शासक को 'स्वराट्' कहते थे। यह प्रणाली पश्चिम दिशा के (सुराष्ट्र, कच्छ, सौवीर आदि) राज्यों में प्रचलित थी। यह स्वराज्य या स्वशासित (Self-ruling) प्रणाली है।
- पारमेष्ठ्य प्रणाली के शासक को 'परमेष्ठी' कहते थे। महाभारत शान्तिपर्व और सभापर्व में पारमेष्ठ्य गणतन्त्र प्रणाली का विस्तार से वर्णन हुआ है।
- राज्य प्रणाली में राज्य का उच्चतम शासक 'राजा' होता था। यह प्रणाली मध्यदेश में कुरु, पञ्चाल, उशीनर आदि राज्यों में प्रचलित थी।
- माहाराज्य प्रणाली के प्रशासक को 'महाराज' कहते थे। यह राज्य पद्धति का उच्चतर रूप है। किसी प्रबल पर विजय प्राप्त करने पर उसे 'महाराज' उपाधि दी जाती थी।
- आधिपत्य प्रणाली के प्रशासक को 'अधिपति' या 'समन्तपर्यायी' कहा गया है। वह पड़ौसी जनपदों को अपने वश में कर लेता था तथा उनसे कर वसूल करता था। **स हि ज्येष्ठः श्रेष्ठो राजाऽधिपतिः।** (छान्दोग्य उपनिषद् 5.2.6)में इस प्रणाली को श्रेष्ठ बताया है।
- सार्वभौम प्रणाली के प्रशासक को 'एकराट्' कहते थे। **सार्वभौमा....एकराट्।** ऐतरेय ब्राह्मण (8.15) में इसका उल्लेख है। इस प्रणाली को 'सार्वभौम प्रभुत्व' नाम दिया गया है।
- संघवाद अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म (Federalism) का हिन्दी रूपान्तरण है। Federalism शब्द की व्युत्पति लैटिन भाषा के शब्द Foedus से हुई है जिसका अर्थ, समझौता या अनुबन्ध है।
- संघवाद का अर्थ हुआ- शासन की वह व्यवस्था जिसमें केन्द्र (संघ) और संघ की इकाईयों के बीच सत्ता का बंटवारा (अनुबन्ध द्वारा) किया गया हो। संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं- एक केन्द्रीय सरकार, जो राष्टीय महत्त्व के विषयों पर कानून बनाती है और देश की शासन व्यवस्था को संचालित

करती है। दूसरी राज्य या प्रान्तीय सरकारें होती हैं, जिनका कार्य पुलिस व प्रशासन सहित दैनिक कामकाज के विषय होते हैं।

- संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम-से-कम दो स्तर मौजूद हैं- पहला केंद्रीय स्तर पर और दूसरा स्थानीय या राज्यीय स्तर पर।
- भारतीय संविधान में संघ के लिए अंग्रेजी भाषा में Union शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के संदर्भ में संघवाद को केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे सत्ता का विकेन्द्रीकरण कहा जाता है।
- भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। भारतीय संघ व्यवस्था में संविधान द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का जो विभाजन या केन्द्रीकरण किया जाता है, उस दृष्टि से दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएँ होती हैं- एकात्मक शासन और संघात्मक शासन।
- संविधान में अनुच्छेद-1 (एक) में कहा गया है कि, भारत राज्यों का एक संघ (Union) होगा। लेकिन संविधान निर्माता संघात्मक शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की कमजोरियों को दूर करने के लिए भारत के संघात्मक शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को अपना लिया गया है।
- भारत में संघ और राज्य दोनों में अलग सरकारें होती हैं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद् तथा जनप्रतिनिधियों की व्यवस्थापिका (संसद) है। इसी प्रकार राज्यों में भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है। जिसमें राज्यपाल और मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद् तथा जनप्रतिनिधियों की विधानसभा है। यह व्यवस्था दोहरी शासन प्रणाली कहलाती है।
- संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत अनुच्छेद 246 में केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है।
- संघ सूची में राष्ट्रीय महत्त्व के विषय होते हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार को है। इस सूची में 97 विषय थे परन्तु वर्तमान में इसमें 100 विषय सम्मिलित हैं। जैसे- रेल, वित्त, रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिग, सञ्चार, डाक, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, जनगणना, मुद्रा आदि।
- राज्य सूची में स्थानीय महत्त्व के विषय होते हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय 66 विषय थे परन्तु वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं, जैसे- पुलिस, स्थानीय शासन, जेल, कृषि, सिंचाई, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि।
- समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को ही प्रदान किया गया है, परन्तु यदि किसी विषय पर राज्य और केन्द्र दोनों ने कानून बनाया है तो केन्द्र सरकार का कानून प्रभावी होगा।

- संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे परन्तु वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, जैसे- न्याय का प्रशासन,शिक्षा, विद्युत, उद्योग, वन एवं पर्यावरण, मजदूर संघ, विवाह-विधि आदि।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124-147 एवं 214-237 तक संघ और राज्यों के लिए न्यायपालिका का उपबन्ध किया गया है।
- संघात्मक शासन व्यवस्था में भारतीय व्यवस्थापिका (संसद) के दो सदन है-जिसमें लोकसभा (निम्न सदन) जनता का प्रतिनिधित्व करता है एवं राज्य सभा (उच्च सदन) राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है।
- संसदीय शासन प्रणाली में शासन का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है तथा कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वास्तव में राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसमें कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच समन्वय भी बना रहता है।
- अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं गरिमा के लिये आवश्यक है जिन्हें देश के संविधान में अंकित किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय जिनकी सुरक्षा करता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं।
- भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिये गए हैं। संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद-12 में मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद-13 में मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण वाली विधियाँ दी गई हैं।
- मूल रूप से कुल सात (7) मौलिक अधिकार प्रदान किये गये थे लेकिन 44 वें संविधान संधोधन 1978 द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने के कारण वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं।
- अनुच्छेद 14-18 में समानता के अधिकारों का उल्लेख है। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समान माना गया है तथा सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है।
- अनुच्छेद 19-22 तक स्वतन्त्रता का अधिकार वर्णित है। देश के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की, शान्तिपूर्ण व बिना शस्त्रों के सम्मेलन करने, संगठन बनाने, भारत में घूमने-फिरने और निवास करने तथा कोई भी व्यवसाय, नौकरी-उद्योग आदि आजीविका की स्वतन्त्रता प्राप्त है।
- 86 वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21-(क) में जीवन के अधिकार में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित करते हुए कहा गया है कि राज्य छः वर्ष से चौदह वर्ष (6-14 वर्ष) तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निः शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।
- संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए स्वतन्त्रता के अधिकार बाहरी आक्रमण या आन्तरिक शांति भंग होने की स्थिति राष्ट्रपति के आदेश से स्थगित किए जा सकते हैं। परन्तु इसमें अनुच्छेद 20 एवं 21 के स्वतन्त्रता के संरक्षण अधिकार स्थगित नहीं होते।

- अनुच्छेद-23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। इसके अनुसार मानव के दुर्व्यवहार, बेगार प्रथा और बलपूर्वक श्रम पर रोक लगाई गई है।
- अनुच्छेद-25 से 28 तक में नागरिकों की धार्मिक स्वतन्त्रता का उल्लेख है। सभी नागरिक अपने अंतःकरण के अनुसार किसी धर्म को मानने उसका आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है।
- अनुच्छेद-29 से 30 तक में संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने एवं अपनी संस्कृति की रक्षा का भी अधिकार प्रदान किया गया है।
- अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है। यह वह साधन है, जो मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के महत्त्व को बताते हुए डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा है।
- न्यायालय में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पाँच तरह के प्रादेश या रिट जारी करता है- बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट। मूल अधिकारों के उचित प्रबन्धन, पालन आदि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 33, 34, 35 में है।
- नीति निर्देशक तत्व सरकार के कर्त्तव्य माने गये हैं। नीति निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति को साकार करने का सपना है। भारतीय संविधान में ये तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गये हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36-51 तक है।
- मौलिक कर्त्तव्यों को 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51- क में नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों को जोड़ा गया। प्रारम्भ में मूल कर्त्तव्यों की संख्या 10 थी परन्तु 2002 के 86 वें संविधान संशोधन द्वारा इनकी संख्या 11 हो गई।

अध्याय-11

भारत में लोक कल्याणकारी योजनाएँ

- भारत में नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्तिओं को ध्यान रखते हुए आवश्यक सामाजिक समर्थन के साथ मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना **लोक कल्याण** कहलाता है।
- लोक कल्याणकारी राज्य से आशय है कि राज्य के सभी नागरिकों का सर्वांगींण विकास करना तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति को समानता प्रदान कर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। लोक कल्याणकारी राज्य का सर्वोच्च ध्येय जन सेवा होता है, इसे समाज सेवा भी कहते हैं।
- स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद लोकतान्त्रिक भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई। संविधान ने सरकार को यह जिम्मेदारी दी है कि वह ऐसे कार्यक्रम और योजनाएँ संचालित करें, जिनसे आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय स्थापित हो।
- भारतीय संविधान के भाग चार में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सरकार की इन जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है।
- वैदिक मनीषियों ने अपने चिन्तन में लोक कल्याण का आधार ज्ञान को बताया है, जो सभी के लिए आवश्यक है- **ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च।** (यजु. 26.2) लोक कल्याण का दूसरा ध्येय आरोग्य और सौमनस्य है- **यथा नः सर्वमिज्जगद् अयक्ष्मं सुमना असत्।** (यजु. 16.4) इस मन्त्र में ऋषि की कामना है कि समस्त संसार स्वस्थ, प्रसन्नचित और सौमनस्य युक्त हों।
- सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएँ दो प्रकार की होती हैं- प्रथम वे योजनाएँ जो सामान्य नागरिकों के लिए होती हैं तथा दूसरी वे जो वर्ग विशेष के उत्थान एवं समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए होती हैं, जैसे- निर्धन रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन वाले वर्गों के लिए योजनाएँ।
- सरकार ने शिक्षा को एक मूल अधिकार (2002 में) का दर्जा दिया और निःशुल्क के साथ अनिवार्य रूप से बाल शिक्षा का अधिकार-2009 कानून बनाया गया है। जिसके अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान है। 1 से 8 तक के सभी छात्रों को 'मिड-डे-मील' योजना के अन्तर्गत मध्यान भोजन उपलब्ध दिया जाता है।
- केन्द्र सरकार के द्वारा देश के सभी जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय (1986 में) और बालिका शिक्षा के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय (2004) की स्थापना की गई है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जी ई आर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा।

- शिक्षा के क्षेत्र में भारत के प्रधानमन्त्री जी के द्वारा पी. एम. श्री योजना- 2022 को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से पूरे भारत में 14500 पुराने स्कूलों को नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान जोर दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 1986 के आधार पर बने प्रोग्राम ऑफ एक्शन-1992 कार्य प्रणाली के तहत वैदिक शिक्षा के अन्तर्गत वेद के प्रचार-प्रसार अधिकार दिया गया है।
- भारतीय ज्ञान परम्परा के आधार वेदों में उपलब्ध पारम्परिक ज्ञान को संरक्षित एवं संवर्धित एवं प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से 1987 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान नामक संस्था के उज्जैन स्थानान्तरण के बाद इसका नाम महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान कर दिया गया।
- भारत सरकार ने पर्यटन मन्त्रालय के तहत वर्ष 2014-2015 में पीआरएएसएडी (प्रसाद) योजना शुरू की थी। प्रसाद योजना का पूर्ण रूप 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन अभियान' है। यह योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और पहचान करने पर केन्द्रित है।
- स्वदेश दर्शन योजना विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से पर्यटन और संस्कृति मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है।
- स्वतन्त्रता के अधिकार के अन्तर्गत जीवन जीने के लिये नागरिकों को सम्मान पूर्वक दो वक्त का भोजन भी प्राप्त हों। इसको ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार द्वारा संसद में पारित 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013' को 10 सितम्बर 2013 को अधिसूचित किया है।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अन्तर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण जनता एवं 50% शहरी जनता को लाभ पहुँचाने का प्रावधान है।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति चावल, गेहूँ, मोटे अनाज क्रमशः 3, 2, 1 रूपए प्रति किलोग्राम के राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का अधिकार है।
- भारत में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (वर्ष 2005 में प्रारम्भ) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (वर्ष 2013 में प्रारम्भ) को मिलाकर आरम्भ किया गया था।
- प्रधानमन्त्री आवास का उद्देश्य 2022 तक कमजोर आय वर्ग के लोगों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को घर उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार 20 लाख घरों का निर्माण करवाएगी, जिनमें 18 लाख घर झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्र में शेष 2 लाख शहरों के गरीब क्षेत्र में किए जायेंगे।

- प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY) 25 जून 2015 से पूरे देश में शुरु की गई थी। पूर्व में इंदिरा आवास योजना के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास हेतु भूखण्ड व आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती थी, इसे अब प्रधानमन्त्री आवास योजना में समायोजित कर दिया गया है।
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2006 (मनरेगा) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत अकुशल श्रमिक द्वारा रोजगार की माँग करने पर उसके घर से 5 कि.मी. की दूरी तक न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी सरकार द्वारा प्रदान की गई है।
- प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना (PMKVY) भी भारत सरकार की रोजगार उपलब्ध करवाने की एक योजना है जिसे जुलाई 2015 में शुरु किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी।
- प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना मई 2015 में शुरु की गई है। इस योजना में केवल 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम दिया जाता है और आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये तक बीमा लाभ मिलता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सस्ती कीमत पर आम लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसम्बर, 2018 से लागू की गई। इसका उद्देश्य छोटे एवं सीमान्त किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को तीन किश्तों में भुगतान किया जाता है।
- किसी भी लोकतान्त्रिक देश में सरकार की नीतियों एवं कार्य विषयक जानकारी करना नागरिकों का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 से लागू कर दिया गया।

अध्याय-12

भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं उसकी अधः संरचना

- लोग, अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, जैसे- कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग आदि करते हैं, जिनसे लोगों को आय प्राप्त होती है। इन गतिविधियाँ में कुछ वस्तुओं का उत्पादन करती है तो कुछ सेवाओं का सृजन करती है। इन गतिविधियों को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या क्षेत्रक कहते हैं।
- प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों कहा जाता है। यह क्षेत्र मुख्यतः कृषि पर आधारित होता है इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है।
- अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें गतिविधियों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का विनिर्माण द्वारा रूपान्तरण किया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है।
- परिवहन, भण्डारण, सञ्चार, बैंक, व्यापार आदि से सम्बन्धित गतिविधियाँ तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। इन गतिविधियों के विस्तार से ही आर्थिक विकास को गति मिलती है। चूंकि, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों से वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है, अतः इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है।
- आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत कुल सकल घरेलु उत्पाद में 7.3% (2020-21) गिरावट दर्ज की गई। परन्तु अर्थशास्त्रियों वर्ष 2021-22 में 9.3% बढ़ने का अनुमान लगाया है तथा वर्ष 2022-23 में यह विकास दर 8 - 8.50% हो सकती है।
- भारत में तृतीयक क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण कारणों में अनेक बुनियादी सेवाएँ बैंक, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, आदि हैं। कृषि एवं उद्योगों के विकास से व्यापार, परिवहन, भण्डारण जैसी सेवाओं का विकास होने से तृतीयक क्षेत्र का महत्त्व बढ़ा है।
- वह क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत हो तथा जिसमें सरकारी नियमों एवं कानूनों की पालना की जाती हों उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं।
- वह क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है तथा जिसमें सरकारी नियमों व कानूनों की पालना नहीं की जाती हो उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं।
- अधः संरचना या आधारभूत संरचना, जैसा कि नाम स्पष्ट है, यह उत्पादन के प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु आधार प्रदान करती है। किसी भी देश की प्रगति कृषि एवं उद्योगों के विकास पर निर्भर है।

- किसी भी देश का आर्थिक विकास उपलब्ध ऊर्जा के सधानों पर निर्भर करता है। क्योंकि कृषि, उद्योग, खनिज, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे- विद्युत, कोयला, प्राकृतिक एवं गैस आदि।
- स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना (1999 ई.) अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थी जिसके अन्तर्गत भारत सरकार ने देश के चार महानगरों (दिल्ली, कोलकात्ता, चेन्नई, मुम्बई) को जोड़ने वाली 6 लेन महाराज मार्गों की सड़क परियोजना 2012 में पूर्ण हुई।
- भारतमाला परियोजना (2015) एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना हैं। इसके तहत नए राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं।
- सड़क परिवहन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। देश में सड़क परिवहन देश के कुल परिवहन का 87.4% है।
- भारत का सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से कन्याकुमारी (दूरी 2389 किमी) है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 ए वेलिङ्गटन आईलैण्ड से कोच्ची (दूरी 6 किमी) है। वर्तमान (2021) में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 221 एवं उनकी कुल लम्बाई 1,64,000 किमी है।
- राज्यों के आन्तरिक क्षेत्र की वे सड़कें, जो राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालयों, महत्त्वपूर्ण शहरों को आपस में तथा राष्ट्रीय राजमार्गों व पड़ोसी राज्यों से जुड़ने वाले मुख्य राजमार्गों से जोड़ता है, राज्य राजमार्ग कहलाता हैं।
- सीमांत (सीमावर्ती) सड़कों का निर्माण और रखरखाव भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन का गठन 1960 में किया गया जिसका कार्य उत्तर और उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्त्व की सड़कों का विकास करना था।
- भारत में माल एवं सवारी की ढुलाई के लिए परिवहन का सबसे सुविधाजनक साधन रेलवे है। रेलवे का शुभारम्भ सन् 1853 में हुआ था जब प्रथम रेल बम्बई से थाने तक चलाई गई।
- भारत में पहली विद्युतीकृत रेल लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में सन् 1925 में मुम्बई से कुर्ला के बीच चलाई गई जिसका नाम डेक्कन क्वीन था।
- भारतीय रेलवे को प्रशासनिक दृष्टि से 17 जोन और 73 मण्डलों में विभाजित किया गया है। 65,808 किमी कुल लम्बाई के साथ भारतीय रेलवे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है।
- भारत में पाइपलाइन परिवहन का उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद तथा प्राकृतिक गैस शोधनशालाओं तथा उर्वरक कारखानों व ताप विद्युत ग्रहों तक पहुँचाने में किया जाता है।

- भारत की जल परिवहन प्रणाली दो प्रकार की है, प्रथम आन्तरिक जल परिवहन और द्वितीय तटीय एवं सामुद्रिक जल परिवहन।
- भारत का समुद्रतट लगभग 7600 किलोमीटर लम्बा है और इस पर 13 बड़े एवं 187 छोटे व मध्यम बन्दरगाह है।
- देश में लगभग 14,500 किलोमीटर लम्बा अन्तः स्थलीय नौसञ्चालन जलमार्ग है। भारत में कुल नौ संचालक जलमार्ग में से केवल 5685 कि.मी. मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है।
- सी प्लेन पानी और जमीन दोनों से ही उड़ान भर सकता है। 31 अक्टूबर सन् 2017 को प्रधानमन्त्री ने साबरमती रीवर फ्रन्ट (अहमदाबाद) से स्टेच्यु आफ यूनिटि (केवडिया) तक 200 किमी में सी-प्लेन सेवा शुरू की है, जो पर्यटन को बढ़ावा दे रही है।
- भारत में वायु परिवहन का प्रारम्भ सन् 1911 में हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम डाक सेवा का परिवहन किया गया। सन् 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- भारत में अन्तरराष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण देश के चार बड़े हवाई अड्डों- दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता व चेन्नई का प्रबन्धन करता है।
- भारत में सञ्चार व्यवस्था में बड़ी है। सर्वप्रथम देश में सञ्चार सेवा की शुरुआत सन् 1837 में हुई। किन्तु इन सेवाओं का विस्तार स्वन्त्रता के बाद ही हुआ है। वर्ष 1991 से प्रारम्भ हुए आर्थिक सुधारों ने दूर सञ्चार सेवाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन किए।
- वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी की ही अर्थव्यवस्था है।
- भारत में पर्यटन सबसे बड़ा सेवा उद्योग है, जहाँ इसका राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 6.23% और भारत के कुल रोज़गार में 8.78% योगदान है।

अध्याय-13

विकास और उपभोक्ता जागरूकता

- किसी भी समाज, देश व विश्व में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन जो प्रकृति और मानव दोनों को उन्नति की ओर ले जाता है, विकास कहलाता है।
- समाज वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, नीति नियोजकों द्वारा विकास शब्द का प्रयोग विशेष रूप से अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद प्रयोग किया गया।
- राष्ट्रीय विकास का अर्थ है कि किसी देश के नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाएँ, सामाजिक सुविधाएँ, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय आदि में सुधार होना है।
- राष्ट्रीय आय एक वित्त वर्ष में उस देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन के सभी साधनों की आय का योग होती है न की देश के व्यक्तियों की आय का। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप है।
- औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना 1868 ई. में श्री दादा भाई नौरोजी ने की थी।
- स्वतन्त्रता के बाद 1955 ई. में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organization- CSO) को राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य सौंप दिया गया।
- जब किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या द्वारा विभाजित किया जाए तो यह प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है।
- विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की विकास दर को घटाकर 7.5 फीसदी कर दिया है। लेकिन, इस बात पर जोर दिया है कि भारत की विकास दर शीर्ष पर बनी रहेगी।
- ऐसी सुविधाएँ जो सभी के लिए उपलब्ध होती हैं, सार्वजनिक सुविधाएँ कहलाती है। जैसे- यातायात के साधन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, गार्डन, बैंक आदि।
- धारणीयता से हमारा अभिप्राय एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया को धारण करना है जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुँचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं की संतुष्टि को बनाए रखे। विकास उच्च स्तर पर भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहें, इसे विकास की धारणीयता कहते हैं।
- जब भी कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता की संतुष्टि हेतु अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदता है उसी समय से वस्तु उसकी भागीदारी बाजार में हो जाती है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो बाजार खरीदता है।
- उत्पादक अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं के पक्ष को भूलकर मूल्य के अनुसार वस्तु या सेवा लाभ प्रदान नहीं करते हैं, इस स्थिति को उपभोक्ता शोषण कहा जाता हैं।

- बाजार में से हमेशा मानकीकृत वस्तुएँ ही खरीदना चाहिए। आई.एस.आई., एगमार्क एवं हॉलमार्क वाले चिह्नों की वस्तुएँ मानकीकृत होती हैं।
- सन् 1955 में 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' पारित किया गया। वस्तुओं की नाप-तौल को व्यवस्थित करने के लिए सन् 1976 में 'बाट एवं माप मानक अधिनिय' पारित किया गया।
- सन् 1986 में भारत सरकार द्वारा 'उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम' पारित किया गया। 20 जुलाई, 2020 को 'नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम' 2019 को लागू किया गया।
- भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरुकता लाने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है। 24 दिसम्बर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- आई. एस. आई. (भारतीय मानक संस्थान) चिह्न वस्तु की श्रेष्ठ गुणवत्ता एवं मानदण्ड होने पर उस वस्तु पर लगाने की अनुमति दी जाती है। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1947 को हुई थी। 1 जनवरी 1987 को इसका नाम बदल कर भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस)कर दिया था।
- एगमार्क का पूरा नाम अग्रीकल्चर मार्केटिंग है। इसका चिह्न अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि और खाद्य उत्पादों पर भारतीय विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- एफ. पी. ओ. (Farmer Product Organization) किसानों का समूह होता है तथा यह ऐसे किसानों को रजिस्टर्ड करता है जो कृषि पर आधारित गतिविधि चलाते हैं।
- हॉलमार्क सोने, चांदी व अन्य बहुमूल्य धातुओं पर लगाया जाने वाला मानक चिह्न है,जो उस धातु की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। यह 'भारत मानक ब्यूरो' द्वारा प्रदान किया जाता है।
- आई. एस. ओ. (International Organization of Standardization) एक विश्व स्तरीय गैर सरकारी संगठन है, जो उत्पाद या सेवाएँ ग्राहक व नियामक की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा निरन्तर सुधार को प्रदर्शित करते हैं। वर्तमान में इसका विश्व 164 देशों में नेटवर्क है।

अध्याय-14

भारत में वैश्वीकरण और वित्तीय प्रणाली

- दो हजार वर्ष पहले विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 32.9% भाग भारत का था तथा इसकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17% थी।
- विश्व के सभी बाजारों के एकजुट होकर कार्य करने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण (globalization) कहते हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से पूरे विश्व के लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं। इसके अन्तर्गत सभी व्यापारिक क्रियाओं का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है।
- सूचना एवं सञ्चार-प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण को तीव्र गति प्रदान की है। इससे विश्व के अधिकांश भाग (देश) एक-दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक सम्पर्क में आये हैं।
- एक देश या क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, व्यापार, उपभोग आदि क्रियाओं से जुड़ा तन्त्र अर्थव्यवस्था कहलाता है।
- 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों (उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण) ने भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को निर्धारित करने में विशेष भूमिका निभाई है।
- अपने देश के अतिरिक्त एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन को नियन्त्रित करने वाली कम्पनी को बहुराष्ट्रीय कम्पनी कहते हैं।
- बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अपने देश के अतिरिक्त दूसरे देश में किए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं।
- ने नई आर्थिक नीति का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिये 1991 में अपनाई गई नीतियों से है। नई आर्थिक नीति के उपायों को स्थिरीकरण उपाय तथा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम में बाँटकर देखा जा सकता है।
- आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 8.0-8.5 प्रतिशत होने का अनुमान है साथ ही विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार भारत 2021-24 के दौरान विश्व की प्रमुख तीव्रगामी अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
- सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबन्धों को हटाने की प्रक्रिया को **उदारीकरण** कहा जाता है। उदारीकरण में वे सभी क्रियाएँ सम्मिलित **हैं**, जिनके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुँचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियन्त्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है।
- सार्वजनिक क्षेत्रों की कम्पनियों को चरणाबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना **निजीकरण** कहलाता है। अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान कर सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम की जाती है।

- विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है, यह विश्व व्यापार को आसान बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाता है।
- वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के 164 देश सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में है।
- वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के सामान्य स्वीकृति प्राप्त साधन को **मुद्रा** कहते हैं। भुगतान के साधन या विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकृति, मुद्रा का एक विशेष गुण है।
- अथर्ववेद में रुक्म नामक सिक्के का उल्लेख है- रुक्मवक्षसः (6.22.2)। शतपथ ब्राह्मण में स्वर्ण को शतमान कहा गया है- तस्य त्रीणि शतमानानि हिरण्यानि दक्षिणा। (8.2.3.2) सायण ने अपने भाष्य में शतमान को सौ रत्ती सोने का सिक्का माना है। चाँदी के सिक्के को कार्षापण या पण कहा जाता था- इसकी तौल 32 रत्ती की थी- (तैत्तिरीय ब्राह्मण (1.3.7)।
- बैंकिंग व्यवस्था के साथ-साथ पत्र मुद्रा का विस्तार अनेक रूपों में हुआ, **जैसे**- लिखित प्रमाण पत्र, प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा, अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा आदि।
- केन्द्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक के विस्तार के साथ-साथ चैक, हुण्डी, ड्राफ्ट के रूप में साख मुद्राओं का विकास हुआ। वर्तमान में क्रेडिट एवं ए.टी.एम कार्ड के रूप में प्लास्टिक मुद्रा भी अत्यधिक चलन में है।
- वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय मुद्रा के माध्यम से होता है। वर्तमान में प्रत्येक वस्तु एवं सेवा का मूल्य मुद्रा में ही मापा जाता है। बाजार में सभी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में ही व्यक्त किया जाता है।
- कागज के नोट एवं सिक्के (करेंसी) मुद्रा के आधुनिक रूपों में सम्मिलित है। भारतीय रुपया, भारत की मुद्रा है, जिसे भारत के केन्द्रीय बैंक **भारतीय रिजर्व बैंक** द्वारा जारी किया जाता है।
- '**₹**' यह प्रतीक डी. उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया है। भारत में सरकार द्वारा केवल एक रुपये का नोट जारी किया जाता है।
- वह बैंकिंग प्रणाली जिसमें इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली द्वारा बैंक की बेबसाइट के माध्यम वित्तीय लेन-देन की की सुविधा ग्राहकों को प्रदान की जाती है, उसे नेट बैंकिंग कहते हैं।
- **क्रेडिट कार्ड** ऐसा कार्ड होता है जिसके माध्यम से धारक इस वचनबद्धता के साथ वस्तुएँ और सेवाएँ खरीद सकता है कि बाद में वह इन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का भुगतान अपने बैंक को करेगा।
- भारत की प्रमुख बैंक इस प्रकार हैं- वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक ,औद्यिगिक बैंक,विदेशी विनिमय बैंक, कृषि बैंक, कृषि सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामिण बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामिण विकास बैंक, रिजर्व बैंक, अन्ताराष्ट्रीय बैंक।

अध्याय- 15

भारत की वर्तमान समस्याएँ एवं निदान के प्रयास

- जब किसी देश में जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र होती है कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पायें, इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता हैं।
- 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तरप्रदेश व सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है तथा सर्वाधिक वृद्धि दर मेघालय (27.95%) हुई।
- जब कोई व्यक्ति कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक हो लेकिन वर्तमान प्रचलित मजदूरी की दर पर उसे काम नहीं मिलता है, तो उस व्यक्ति को बेरोजगार एवं इस स्थिति को **बेरोजगारी** कहा जाता है।
- प्रायः धन-सम्पदा के अभाव को गरीबी कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से उस व्यक्ति को गरीब या गरीबी रेखा से नीचे माना जाता हैं जिसकी आय का स्तर कम होने पर व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता हैं।
- भारत में गरीबी एक मूलभूत आर्थिक एवं सामाजिक समस्या हैं। गरीबी दो प्रकार की होती हैं- निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी।
- निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। निरपेक्ष गरीबी अविकसित राष्ट्रों में पायी जाती है। भारत में गरीबी का आशय, निरपेक्ष गरीबी से ही होता है।
- समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन और उपभोग- व्यय के वितरण में सापेक्षिक असमानताओं का माप, सापेक्ष गरीबी कहलाती है। यह विकसित राष्ट्रों में पायी जाती है।
- सी. रङ्गराजन समिति ने वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा माना हैं। इस आधार पर वर्ष 2020-21 में भारत में गरीबी 22 % थी।
- भारत में गरीबी के प्रमुख कारण- सामाजिक आयोजनों में अपव्यय, जनसंख्या वृद्धि, कृषि में परम्परागत तकनीक का उपयोग ,उद्योगों का मशीनीकरण आदि हैं।
- जब किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा अपनी अनुचित मांगों की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर हिंसा व अशांति पर आधारित नकारात्मक प्रयास किया जाता है, तो उसे **आतंकवाद** कहा जाता है। वर्तमान में आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। भारत में आतंकवाद तीन रूपों में दिखाई देता है- साम्प्रदायिक, नक्सली और जातीय आतंकवाद।

- जब कोई व्यक्ति या संगठन अपने निर्धारित कानूनी दायरे से बाहर जाकर अनुचित ढंग से किसी व्यक्ति अथवा संगठन को लाभ पहुँचाये तथा बदले में धन अथवा सुविधाएँ प्राप्त कर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचाये तो उसे **भ्रष्टाचार** कहते हैं और वह व्यक्ति **भ्रष्टाचारी** कहलाता है।
- जब राष्ट्र हित को भुलाकर किसी पन्थ या सम्प्रदाय विशेष के प्रति निष्ठा रखकर उस सम्प्रदाय के लोग उसके विस्तार के लिये कार्य करते हैं तथा अन्य पंथों एवं सम्प्रदायों के प्रति घृणा भाव रख उन्हें हानि पहुँचाते हैं तो ऐसी स्थिति को **साम्प्रदायिकता** कहते हैं।
- स्थानीय निवासियों द्वारा संघ या राज्य की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष या प्रान्त से लगाव व उसके विकास के प्रयास क्षेत्रवाद की श्रेणी में आते हैं। क्षेत्रवाद का उद्देश्य अपने संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति करना होता है।
- ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से मस्तिष्क शिथिल हो जाये, रक्त का सञ्चार तेज हो जाये और उत्तेजना से क्षणिक आनन्द की अनुभूति हो उन्हें मादक पदार्थ कहते हैं।
- वर्तमान में मादक पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में किया जाने लगा है। मादक पदार्थों का उत्पादन विश्व के कुछ ही देशों में होता है परन्तु उपयोग सम्पूर्ण विश्व में होता हैं।
- मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक कार्य क्षमता घट जाती हैं और आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और विकास अवरुद्ध हो जाता है।

परिशिष्ट - राज्य, उनकी राजधानी, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या

क्रं.	राज्य	राजधानी	जिलों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	जनसंख्या
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	26	2,75,060	8,46,53,533
2.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	19	83,743	13,82,611
3.	असम	दिसपुर	35	78,438	3,11,69,272
4.	बिहार	पटना	38	94,163	10,38,04,637
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर	32	1,36,034	2,55,40,196
6.	गोवा	पणजी	02	3,702	14,57,723
7.	गुजरात	गाँधी नगर	35	1,96,024	6,03,83,628
8.	हरियाणा	चंडीगढ़	22	44,212	2,53,53,081
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	12	55,673	68,56,509
10.	झारखण्ड	राँची	24	79,714	3,29,66,238
11.	कर्नाटक	बंगलोर	30	1,91,791	6,11,30,704
12.	केरल	तिरूवनंथपुरम्	14	38,863	3,33,87,677
13.	मध्य प्रदेश	भोपाल	50	3,08,000	7,25,97,565
14.	महाराष्ट्र	मुंबई	36	3,07,713	11,23,72,972
15.	मणिपुर	इम्फाल	09	22,327	27,21,756
16.	मेघालय	शिलांग	11	22,327	29,64,007
17.	मिजोरम	आइजौल	08	21,081	10,91,014
18.	नागालैंड	कोहिमा	12	16,579	19,80,602
19.	ओडिशा	भुवनेश्वर	30	1,55,707	4,19,47,358
20.	पंजाब	चंडीगढ़	23	50,362	2,77,04,236
21.	राजस्थान	जयपुर	33	3,42,239	6,86,21,012
22.	सिक्किम	गंगटोक	04	7,096	6,07,688
23.	तमिलनाडु	चेन्नई	38	1,30,058	7,21,38,958
24.	त्रिपुरा	अगरतला	08	10,49,169	36,71,032
25.	उत्तराखण्ड	देहरादून	13	53,484	1,01,16,752
26.	उत्तरप्रदेश	लखनऊ	75	2,38,566	19,95,81,477
27.	पश्चिम बङ्गाल	कोलकाता	23	88,752	9,13,47,736
28.	तेलंगाना	हैदराबाद	33	1,14,840	3,51,93,978

क्रं.	केन्द्र शासित राज्य	राजधानी	जिलों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	जनसंख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	3	8,249	3,79,944
2.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	1	114	10,54,686
3.	दादर और नागर हवेली दमन और दीव	दमन	3	603	5,85,764
4.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	20	2,22,236	1,25,00,000
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	9	1,483	1,67,53,235
6.	लक्षद्वीप	कवरत्ती	1	32	64,429
7.	पुदुच्चेरी	पुदुच्चेरी	4	492	12,44,464
8.	लद्दाख	लेह	2	1,66,698	2,74,289

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

द्वारा सञ्चालित एवं प्रस्तावित राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन - ४५६००६ (म.प्र.)

Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in